प्रेषक,

संदीप कुमार,
अपर सिविल जज(प्रवर खण्ड)द्वितीय,
गाजियाबाद।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020– 2021 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में श्री मान जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर द्वारा प्रार्थी की चरित्र पंजिका में की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को निरस्त करने के लिये अभ्यावेदन–

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन से पूर्व प्रतिकूल प्रविष्टि को सुविधा के लिये यहां उद्धृत करना उचित है– उल्लेखनीय है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर महोदय प्रार्थी की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करते समय निम्न तथ्यो का हवाला दिया है।

1(a)(i) मुझे कई बार मौखिक रुप से सूचित किया कि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है।

(ii)शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री आर.टी.सिंह अधिवक्ता श्री नीरज उपाध्याय और पक्षकार अनिल कुमार द्वारा अलग–अलग एक–एक शिकायतें (कुल तीन) अधिकारी की सत्यनिष्ठा और आचरण के बारे में की गयी।

(iii) मौखिक और लिखित शिकायत ये थी कि " पीठासीन अधिकारी श्री सन्दीप कुमार ने प्रतिकूल आदेश अवैध साधनो के कारण पारित किये है।कई दीवान वादों में पीठासीन अधिकारी ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया ऐसी स्थिति में वादी दावा वापस ले लिया गया, बादहू उसी सम्पत्ति के लिये और उसी वादकारण से उसी वादी ने नये वाद दायर किये तो इस दूसरे नये वाद में स्थगन पारित कर दिये गये।

(iv) उपरोक्त मौखिक एवं लिखित शिकायतों के आधार पर मैने व्यक्तिगत रुप से सत्यापित किया तो पाया कि श्री सन्दीप कुमार पीठासीन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में प्रतिकूल आदेश पारित किये। आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाये गये।

(v)मैने पीठासीन अधिकारी को सलाह दी कि एक न्यायिक अधिकारी की तरह व्यवहार करें और सत्यनिष्ठा को बरकरार रखने वाले नियमों के अनुसार आदेश पारित करें। मैने आदेशों को संकलित किया और सत्यापन किया।

(vi) मैनें ग्यारह दीवानी वादो के वादपत्रों व अन्य कागजात को उदाहरण के लिए इकट्ठा किया जिनसे पीठासीन अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में गम्भीर सन्देह उत्पन्न हुये। मैने इन सभी तथ्यो को आदेशों, वादपत्रों इत्यादि की छायाप्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया।

तद् नुसार पीठासीन अधिकारी की सत्यनिष्ठा गम्भीर रुप सें संदिग्ध है।

Sandeep Kumar

(vii)वादकारी एवं अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार के बारे में टिप्पणी का अवसर होने पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने स्तम्भ 01(b) में टिप्पणी करते हुए लिखा कि वादकारी एवं अधिवक्ता से व्यवहार ठीक नही है।

(viii)इस प्रकार टिप्पणी के स्तम्भ 01(d) में प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुये श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने लिखा कि–हाँ, पीठासीन अधिकारी का निजी जीवन का चरित्र ऐसा है जो आम जनता के आकलन में उनकी छवि घूमिल करता है। जिससे उनके पदीय कर्तव्यो का निर्वहन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होता है।

(ix) ऐसे ही टिप्पणी के स्तम्भ 01(e)(2) में जनपद न्यायाधीश महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में कि "क्या पीठासीन अधिकारी द्वारा अनावश्यक स्थगन नहीं दिये गये है "? टिप्पणी की गयी कि नही अर्थात पीठासीन अधिकारी ने अनावश्यक स्थगन को टालने का प्रयास किया है।

(x) टिप्पणी के स्तम्भ 01(e)(v) में जनपद न्यायाधीश महोदय नें टिप्पणी की है कि पीठासीन द्वारा अन्तरिम आदेश पर्याप्त आधार पर न तो दिये गये है और न ही खारिज किये गये है।

(xi)टिप्पणी के स्तम्भ 01(f) में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी की है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय तथ्य एवं विधि पर अच्छे से भली भाँति कारण सहित स्पष्ट तौर पर अच्छी भाषा में नहीं लिखे गये हैं।

(xii) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी के स्तम्भ 01(f)(1),01(f)(ii) और 01(f)(iii) में प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुये लिखा है कि पीठासीन अधिकारी का वाद के तथ्यो को प्रकट करने में, साक्ष्य की व्याख्या करने में और विधि की करने में व्यवहार खराब रहा है।

(xiii) श्री्मान जनपद न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी के स्तम्भ 01(h) में आक्षेप किया कि " अधिकारी का अपने कार्यालय पर उचित नियंत्रण नहीं है और उनमें प्रशासनिक दक्षता भी नही है।

(xiv) टिप्पणी के स्तम्भ 01(i) में आक्षेप किया है कि अधिवक्ता संघ के साथ पीठासीन अधिकारी के साथ सम्बन्ध ठीक नही थे।

(xv) जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर महोदय ने टिप्पणी के स्तम्भ 01(m)में प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए दिखाया कि " अधिकारी उनके व वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव की अनदेखी करता था। इस टिप्पणी के साथ साक्ष्य के रुप में किन्ही संलग्नक का हवाला दिया है "।

**<u>उपर्युक्त प्रतिकूल टिप्पणी के कम में प्रार्थी का निम्नलिखित निवेदन है कि</u>** –

1(a)(i) <u>मुझे कई बार मौखक रुप से सूचित किया गया कि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है</u>।
स्तम्भ 01 (a) (i) के इस टिप्पणी को देखने से स्पष्ट है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने प्रतिकूल टिप्पणी के पहले वाक्य में ही अभिमत

व्यक्त कर दिया कि उत्तरदाता प्रार्थी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है और यह निष्कर्ष कई मौखिक शिकायतों के आधार पर निकाला गया है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने यह अभिमत व्यक्त करते समय यह उल्लेख करने का भी कष्ट नहीं किया कि सत्यनिष्ठा के बारे में कई बार संदिग्धता की सूचना उन्हें कैसे मिली? पक्षकार, अधिवक्ता, कर्मचारी अथवा किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा? ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण विनम्रता के साथ निवेदन है कि यह आक्षेप पूर्वाग्रह से ग्रस्त है " ।

1(a)(ii) शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री आर.टी.सिंह, अधिवक्ता श्री नीरज उपाध्याय और पक्षकार अनिल कुमार द्वारा अलग अलग एक एक शिकायतें(कुल तीन) अधिकारी की सत्यनिष्ठा और आचरण के बारे में की गयीं ।इस आक्षेप में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अधिवक्ता श्री आर.टी.सिंह, अधिवक्ता नीरज उपाध्याय और वादकारी अनिल कुमार की एक–एक लिखित शिकायत का जिक्र किया है। उचित होगा कि तीनों शिकायतो की अलग–अलग समीक्षात्मक निवेदन विस्तृत रूप से यही पर प्रस्तुत करूँ।

**अधिवक्ता श्री आर.टी.सिंह की शिकायत प्रार्थना पत्र निम्नवत् है–**

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद सुलतानपुर।

विषय– श्री सन्दीप कुमार(पी.सी.एस.जे) वर्तमान सिविल जज प्रवर खण्ड सुलतानपुर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि वर्तमान सिविल जज जिन कर्तव्यो के लिए सिविल जज प्रवर खण्ड बनाये गये है उन कर्तव्यो का पालन नही कर रहे है। जिन मुकदमों में रुपया पैसा मिलता है उसे स्टे करते है और जिन मुकदमो में रूपया पैसा नही मिलता है उसमें नोटिस जारी कर देते है। इसका सबसे बड़ा उधारण यह है कि इनके यहां साधारण वाद संख्या 642/2020 दायर किया गया है। जिसका नाम बनाम रामशब्द मिश्रा बनाम विनोद पाण्डेय है जिसमें स्टे नही दिया गया और 11.07.2020 को मुकदमा उठा लिया गया और पुनः मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं मांगी गयी इसके बाद दूसरा मुकदमा उसी विवादित भूमि के बाबत पुनः दायर किया गया जिसका नाम बनाम रामशब्द बनाम विनोद पाण्डेय जिसका साधारण वाद संख्या 692/2020 है इसमें भी स्टे नही दिया गया दिनांक 20.07.2020 को बिना लिवर्टी सीक किये मुकदमा उठा लिया गया। पुनः दिनांक 24.08.2020 को तीसरा मुकदमा दायर किया गया जिसमें विवादित भूमि वही दिखाई गयी जो पूर्व के मुकदमें में दिखाया गया है मात्र प्रतिवादी संख्या 01 का नाम बदल गया यह मुकदमा रामशब्द मिश्रा बनाम अजीत तिवारी के नाम से दायर किया इसमें अप्रत्यक्ष लाभ लेते हुए सिविल जज महोदय प्रवर खण्ड ने स्थगन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार इनके द्वार विधि के प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है। एक न्यायाधीस का यह कर्तव्य नही है कि एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर विधि के प्रतिकूल आचरण करें।

श्रीमान जी आप जनपद न्यायाधीश है और सुलतानपुर के सभी जज आपके परिधि के अन्तर्गत कार्य करते है प्रार्थी आपसे उम्मीद रखता है कि आप सिविल जज प्रवर खण्ड के विरूद्ध उचित कार्यवाही करें। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना के प्रकाश में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–

1–सा० वाद सं० 642/20 दावा की फोटो कापी

प्रार्थी
आर.टी.सिंह
एडवोकेट
पता– सिविल कोर्ट, सुलतानपुर

2–दिनांक 16.07.20 को पारित आदेश की फोटो कापी
3– सा० वाद 692/20 दावा की फोटो कापी
4– पारित आदेश 20.07.20 की फोटो कापी

5–सा०`वाद सं० 883/20 में पारित आदेश दिनांकित दिनांक–24.08.2020 की छायाप्रति
मो0 नं0 9839611610

नोट– शिकायती प्रार्थना पत्र की एक कापी प्रेषित
माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ०प्र०

**जवाब–**इस शिकायत के सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 22.01.2021 की शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता के शपथ पत्र से समर्थित नही है तथा शिकायत प्रार्थना पत्र पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। जबकी माननीय उच्च न्यायालय के कई सर्कुलर और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश स्पष्ट व्यवस्था देते है कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत पर कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि शिकायत शपथ पत्र से समर्थित ना हो।**(संलग्नक संयुक्त रूप से 1 एवं 2)**

शिकायतकर्ता ने साफ–साफ कहा है कि जिन मामले में रूपया पैसा मिलता है स्टे देते है जिसमें नहीं मिलता नोटिस जारी करते है।अपने इस आरोप को सत्यापित करने के लिए उन्होने मूलवाद संख्या 642/2020 रामशब्द बनाम विनोद पाण्डेय का जिक्र किया है। जिसके अनुसार इस वाद में सुनवाई के समय इन्हें स्टे नही मिला तो दिंनाक 11.07.2020 को पुनः वाद योजन की अनुमति के बिना मुकदमा उठा लिया गया और वादग्रस्त भूमि का दुबारा मूलवाद संख्या 692/2020 योजित किया तो इसे भी 20.07.2020 को दुबारा वाद योजन की अनुमति बिना उठा लिया गया। पुनः तीसरी बार इसी वादग्रस्त सम्पत्ति का तीसरा वाद दायर किया गया जिसमें प्रतिवादी नम्बर एक को बदल दिया गया था। तद् नुसार तृतीय वाद रामशब्द मिश्रा बनाम अजीत तिवारी हो गया था। इस बार अप्रत्यक्ष लाभ लेते हुये स्थगन आदेश पारित कर दिया जाना कहा गया।

इस शिकायत का जवाब देने के लिए वास्तव में तीनों वादो में पारित आदेशों/आदेशिकाओं का जिक्र यहां किया जाना बहुत आवश्यक है अन्यथा व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में बिना शपथ पत्र के की गयी इस शिकायत का भ्रम बरकार रहेगा।

मूलवाद संख्या 642/2020 रामशब्द बनाम विनोद पाण्डेय आदि योजित किया गया। जिसमें विवादित भूमि का गाटा संख्या 107 रकबा 0.3150 हेक्टयर का विवाद था। इस वाद में वादी द्वारा नक्शा वादपत्र में वर्णित गाटा की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण

अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया एवं प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 16.07.2020 को वादी द्वारा दावा उठा लिया गया। दिनांक 15.07.2020 को मूलवाद संख्या 692/2020 रामशब्द बनाम विनोद न्यायालय में दायर किया गया जिसमें मुन्सरिम ने यह आख्या दिया कि इसी उनवान का वाद सं० 692/2020 वाद भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में दाखिल किया जा चुका है वादी द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया और दिनांक 20.07.2020 को वाद वापस ले लिया। पुनः इसी विवादित सम्पत्ति तथा एक अन्य विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 107 व 31 को मिलाकर और एक नया पक्षकार कैलाशा देवी को प्रतिवादी नम्बर–5 के रूप में योजित करके प्रतिवादी नम्बर एक को बदलकर एक व्यापक वाद दायर किया गया। जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के प्रथम दृष्टया स्वामित्व और कब्जा का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। अतः रोड साईड लैण्ड होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 01 का अतिचार रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश (यथास्थिति) 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रकिया संहिता के अनुसार पारित किया गया। उक्त आदेश प्रतिकूल टिप्पणी में संलग्न है इसलिए उसका पुनर्कथन नहीं किया जा रहा है। पहले वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति भ्रमाक, अस्पष्ट थी, वादग्रस्त सम्पत्ति के राजस्व अभिलेख के बजाये चौहद्द दी पर बल दिया गया था। अतः वादी का केस भम्राक और कमजोर होने के कारण अस्थायी स्थगन आदेश पारित न कर नोटिस जारी किया गया। दूबारा उसी सम्पत्ति से सम्बन्धित उन्ही पक्षकारो से सम्बन्धित वादी की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण वाद प्रस्तुत किया गया (मूलवाद संख्या 692/2020) जो न्यायालय में आदेश 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पहले ही वापस ले लिया गया। इस वाद को वापस लेने वाले, पहले वाद संख्या 642/2020 को योजित करने वाले और तीसरे वाद मूलवाद संख्या 683/2021 को योजित करने वाले अधिवक्ता एक ही थे जिनका नाम श्री ज्ञानप्रकाश दूबे था। यदि प्रार्थी को इन अधिवक्ता श्री दूबे को ओबलाईज करना होता या उनके मार्फत कोई उत्कोच लेना होता तो पहले वाद में ही स्थगन आदेश पारित कर दिया होता। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता श्री आर.टी.सिंह किसी मामले में स्थगन आदेश नही पाये तो असन्तुष्ट होकर इस प्रकरण में बिना शपथ पत्र के गढ़ी हुयी काल्पनिक शिकायत किये है।श्री आर.टी.सिंह की यह शिकायत बार के अपनी वैमनस्यता और व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण की गई प्रतीत होती है।

**<u>अधिवक्ता श्री नीरज कुमार उपाध्याय की शिकायत प्रार्थना पत्र निम्नवत् है–</u>**

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद सुलतानपुर।

महोदय,

सविनिय निवेदन है कि प्रकरण अत्यन्त गम्भीर व सार्वजनिक महत्तव का है। अपवाद को छोड़ दें तो सामान्यतः ही नही बल्कि असमान्य परिस्थित में कोई अधिवक्ता किसी न्यायिक पदाधिकारीक शिकायत नही करता है क्योकि प्रत्येक दिन उन्ही के सामने कार्य करना पड़ता है। जब स्थिती असामान्य की सीमा पार हो जाती है तभी प्रार्थना पत्र दिया जाता है। सिविल जज अवर खण्ड के पीठासीन अधिकारी श्री सन्दीप कुमार मौर्य की छवी/सोहरत कैसी है उसकी गहन जाँच न होने व साक्ष्य न होने के कारण गम्भीर से गम्भीरता प्रकरण भी समय की धारा में बह जाते है। फिर उनका पता करना पूरी तरह असम्भव हो जाता है। अगर श्री सन्दीप मौर्य की प्रकरण की जाँच एक कमेटी बनाकर किये जाने की महत्ति आवश्यकता है या सतर्कता विभाग से जाँच करायी जाये कि सन्दीप मौर्य के कक्ष संख्या 15 के पीठासीन अधिकारी के रूप में कितनी पत्रवालीयों में स्थगन आदेश पारित किया और उन पत्रवालीयों में कौन कौन से सम्मानित अधिवक्ती थे इससे यह स्पष्ट हो जायेगा एक सामान्य निति के तहत स्थगन जारी किया गया या उसमें भेदभाव किया गया और आदेश में भी नियत कि गयी पत्रावलीयो में एक समान रूप से
समय के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये कि नही यह सभी तथ्य जाँचोप्रान्त पटल पर लाये जा सकेंगे। इससे हमारा न्यायिक तंत्र पार्दशिता के सिद्धान्त की पराकाष्ठा की ओर अग्रसर होगा, जो न्यायिक तंत्र के लिए अच्छा है।

प्रार्थी
नीरज कुमार उपाध्याय
एडवोकेट
सिविल कोर्ट सुलतानपुर
07.04.2021

**<u>जवाब–</u>** अधिवक्ता श्री नीरज कुमार उपाध्याय की दिनांक 07.04.2021 की शिकायत भी बिना शपथ पत्र के है और nonspecific है। इनको किस मुकदमें में क्या आपत्ति हुई ? प्रार्थी की छवि और शोहरत के बारे में इनका ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित है ? इसका उल्लेख इनके शिकायत प्रार्थना पत्र में नही है। श्री नीरज कुमार उपाध्याय की यह शिकायत तथ्य परक न होने के कारण इसका विशिष्ट जवाब दिया जाना मुमकिन नही है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि श्री उपाध्याय का जबतक मैं था उस न्यायालय मे शायद ही कोई नया वाद आया हो।

**<u>श्री अनिल कुमार की शिकायत प्रार्थना पत्र निम्नवत्त हे।–</u>**

सेवा मे,

माननीय मुख्य न्यायिक मूर्ति महोदय
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय:– सिविल जज, (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या–15 जनपज सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे शिकायत–

**महोदय,**

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है–

1–यह की सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या–15 महोदय सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार पैसा लेकर गलत स्थगन आदेश एवं निर्णय दे रहे है। जिनके विरुद्द कार्यवाही किया जाना सामान्य जन में न्याय एंव न्याय पालिका मे विश्वास बनाये रखने के लिये आवश्यक है।

2–यह की वादी गंगा राम ने एक मुकदमा गंगा राम बनाम संत राम आदि अन्तर्गत साधारण वाद संख्या 393/18 न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) दक्षीणी कक्ष संख्या–24 सुलतानपुर में दायर कर रखा है। उक्त मुकदमें मे वादी का स्थगन आदेश नही प्राप्त हुआ। मुकदमा आज भी विचारधीन है।

3–वादी मुकदमा गंगा राम उर्फ गंगा प्रसाद ने स्थगन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसी विवादित आराजी के संदर्भ में एक मुकदमा गंगा प्रसाद बनाम अर्जुन गुप्ता आदि के अन्तर्गत सा०वाद सं०–23/21 न्यायालय श्री सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर के न्यायालय मे 04.01.2021 ई० को दायर किया। सुनवाई के समय प्रार्थी जरिय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। वादी ने अपनी कुटिल मन्सा कि पूर्ति न होते देखकर उपरोक्त मुकदमे को दायरा की तिथि में ही नोट प्रेस कर दिया।

4–यह की प्रार्थी ने उसी विवादित आराजी के संदर्भ मे माननीय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं० 15 सुलतानपुर एंव सिविल जज(अवर खण्ड) कक्ष सं० 24 सुलतानपुर में कैवियट भी प्रस्तुत कर रखा है।

5–यह की गंगा प्रसाद ने रूपयो के बल पर पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार से षडयंत्र कर उनकी सलाह पर उसी विवादित आरीजी के संदर्भ में जो की अन्तर्गत मूल वाद सं०–393/18 श्रीमान सिविल जज(अवर खण्ड) दक्षिणी कक्ष सं०–24 सुलतानपुर में विचारधीन है तथा उसी विवादित आराजी जिसे वादी मुकदमा गंगा प्रसाद ने जिसे अन्तर्गत मूल वाद सं–23/21 श्रीमान सिविल जज(प्रवर खण्ड) कक्ष सं०–15 सुलतानपुर में विवादित कर मुकदमें को नोटप्रेष कर दिया था। पुनः मुकदमा 149/2021 दिनांक 20.01.2021 ई को दायर किया।

6– प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी जरिये अधिवक्ता मूलवाद सं० –149/2021 में हाजिर हुआ तथा पीठासीन अधिकारी को सारी हकीकत बतायी तथा जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने एवं जवाब हेतु अवसर दिनांक 20.01.2021 को चाहा।

7–पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं वकालतनामा को इन्डेक्स नही किया तथा सारी हकीकत बताने का बाद वादी गंगाराम को रूपया के बल उक्त मुकदमा मूल वाद सं०–149/2021 ई० स्थगन आदेश दिनांक 20.01.2021 ई० को प्रदान कर दिया गया।

8–मूल वाद संख्या–393/2018 गंगाराम बनाम संतराम मूल वाद संख्या–23/2021 गंगाप्रसाद बनाम अर्जुन तथा मूल वाद सं०–149/2021 ई० गंगा प्रसाद बनाम चन्द्रशेखर आदि सभी में वादी मुकदमा एक ही व्यक्ति है तथा विवादित सम्पत्ति भी एक ही है। साधारण वाद संख्या–149/2021 ई० वादी ने पीठासीन अधिकारी की सलाह के अनुसार प्रार्थी को फरीक नही बनाया तथा पीठासीन अधिकारी महोदय सन्दीप कुमार ने रूपया लेकर आदेश दिया है।

9–पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा मुकदमों में पैसा लेकर स्थगन दे रहे है तमाम मुकदमों में जिनमें दायरा की तिथि को पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार ने स्थगन योग्य नही पाया बाद में पैसो के बल पर दरखास्त पडने पर स्थगन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार पैसा लेकर पहले दायर मुकदमों को उठवाकर पुनः मुकदमें दायर कराकर स्थगन आदेश कर रहे है। उनका यह कृत्य न्याय बेचना है।

श्रीमान जी प्रार्थी के मामले में पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार ने पैसा लेकर सलाह देकर पुनः मुकदमा दायर कराकर स्थगन आदेश बेचा है। जबकि प्रार्थी ने सारी बाते जरिये अधिवक्ता न्यायालय को दिनांक 20.01.2021 ई० को कृपा की जाय। जिसमें सामान्य जन का विश्वास न्याय पालिका में बना रह सकें।

संलग्नक–

1– मु.अ.सं. 23/21 न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०–15 महोदय सुलतानपुर गंगा प्रसाद बनाम अर्जुन गुप्ता आदि।
2– नकल अर्जी दावा मय नक्शा नजरी मु०अ०स०–149/2021 गंगा प्रसाद बनाम चंद्रशेखर वर्मा न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०–15 महोदय सुलतानपुर
3– नकल अर्जी दावा मय नक्शा नजरी मु०अ०स०–393/2018 गंगा प्रसाद बनाम श्री संत राम आदि न्यायालय श्रीमान सिविल जज दक्षिणि (अ०ख०) कक्ष सं०–24 महोदय सुलतानपुर।
4– कमीशन रिपोर्ट मय नक्शा मुकदमा उपरोक्त।
5– सा० वाद सं० 149 सन 21 में प्रार्थी द्वारा दिं० 20.01.21 ई० को दिया गया प्रार्थना पत्र की छाया प्रति

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– माननीय मुख्य न्यायिक मूर्ति महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली
2– माननीय जिला जज महोदय सुलतानपुर

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
अनिल कुमार सुत संतराम
नि० ग्राम– अलीपुर
परगना मीरानपुर पोस्ट भरखरे
तहसील लम्भुआ
जिला सुलतानपुर

**जवाब**– वादकारी अनिल कुमार पुत्र सन्तराम जो वादकारी है को ढाल बनाकर ये शिकायत अधिवक्ता द्वारा गढी गयी है। ऐसा अनुमान शिकायत की शब्दावली व शैली से स्पष्ट है। अनिल कुमार का ये आरोप गढा हुआ है कि सलाह देकर दावे के वापस लेने और पुर्नयोजित कराने के बाद प्रश्नगत वाद में वादी को अस्थायी निषेघाज्ञा दी गयी। शिकायतकर्ता यह नही कह पा रहा है कि जिस वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा दी गयी उस वाद की विषय वस्तु, वादी का स्वत्व, वादी का प्रथम दृष्टया केस और सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में नही था। शिकायतकर्ता इस तीसरे वाद में कैवियेटर भी नही था। शिकायत में शिकायतकर्ता ने यह भी नही कहा कि प्रश्नगत सम्पति में उसका क्या हित था और यह कि वादी का प्रकट हित नहीं था। त्रुटिपूर्ण वाद को वापस लेना वादी का स्टेच्यूटरी राईट है। प्रश्न सिर्फ यह है कि प्रश्नगत तृतीय वाद का स्थागन आदेश विधि पूर्ण है या नहीं? शेष शिकायत इर्ष्याग्रस्त अधिवक्ता द्वारा वादकारी के जरिए किसी मामले में अपेक्षित अवैध स्थगन आदेश न मिलने से पीड़ित होने के कारण करायी गयी है। प्रार्थी अपनी सफाई में आलोच्य आदेश पर विश्वास करता है।

**1(a)(iii)** विहित प्रारुप के 1(a)(iii) स्तम्भ में मूलतः प्रतिकूल प्रविष्टि के दो आधार लिये गये है– प्रथम यह कि पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार ने प्रतिकूल आदेश अवैध साधनो के कारण पारित किये, यह प्रविष्टि मौखिक और लिखिक शिकायत से सन्दर्भित है; –

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर महोदय ने यह आक्षेप करते समय उल्लेख नही किया कि शिकायतकर्ता कौन थे? वादकारी या अधिकारी ? जहाँ तक लिखित शिकायत का सवाल है, श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय ने यहाँ भी नही लिखा की लिखित शिकायत वादकारी कि थी, या अधिवक्ता की, या अधिकारी की या कर्मचारी की ? यह शिकायत कब की गयी ? श्रीमान् जनपद महोदय ने शिकायत मिलते ही मुझ उत्तरदाता प्रार्थी को बुलाकर सचेत करना क्यूँ उचित नही समझा ? वजह क्या थी कि यह शिकायतें उत्तरदाता प्रार्थी के ट्रांसफर के बाद ली गयी। उल्लेखनीय है कि लिखित शिकायतों पर तथा कथित शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर भी नही थे। फिर माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्रो और शासनादेशों के उल्लंघन करके बिना शपथपत्र, बिना हस्ताक्षर के कि गयी शिकायत पर संज्ञान कैसे लिया गया? इस विषय में सिर्फ इतना निवेदन है कि पूरे वित्तीय वर्ष में उत्तरदाता प्रार्थी के कार्यो से भलीभांति संतुष्ट रहने वाले जनपद्

न्यायाधीश महोदय प्रार्थी के स्थानांतरण के बाद इतने नाराज क्यो हो गये की शिकायतकर्ता का विनिश्चयनकिये बगैर उत्तरदाता प्रार्थी के कैरियर को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने वाली प्रविष्टि दे दिये।

**द्वितीय शिकायत यह है कि कुछ वादकारियो ने अंतरिम आदेश कि याचना सहित वाद योजित किया जिसमें नोटिस जारी हुआ तत्पश्चात संबन्धित वादकारी ने वाद पुनः दाखिल करने कि अनुमति के साथ वापस ले लिया और पुनः वाद योजित किया तो अंतरिम आदेश मिल गया**

इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के बजाय सिर्फ इतना निवेदन करना है कि वादी अपने वाद का मास्टर होता है अगर उसके वाद में कोई त्रुटि है या वादग्रस्त सम्पति या पक्षकार का पूर्ण विवरण नहीं आ सका है जिसकी वजह से उसे अंतरिम स्थगन आदेश नही मिला तो यह उसका विधिक अधिकार है कि वह अपना वाद वापस ले और कमी दूर कर नया वाद दायर करे, इसके लिये यदि वह न्यायालय से अनुमति मांगेगा तो उसके विधिक अधिकार को देखते हुए न्यायालय को अनुमति देनी ही पड़ेगी और पुनः नये वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण, पक्षकारो के उचित संयोजन तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के आधारो का तथ्यात्मक/ विधिक विवरण होने पर उसे अस्थायी निषेधाज्ञा/यथास्थिति का आदेश मिल सकता है। ऐसे में किसी प्रतिस्पर्धि अधिवक्ता की शिकायत भी हो सकती है लेकिन ऐसी शिकायतों का आधार भी विधिक हो यह भी जरुरी नही है, ऐसे में ऐसी त्रुटिपूर्ण पूर्वाग्रह से भरी शिकायतों पर संज्ञान लेने से पहले तथ्य परक संतुष्टि किये बगैर चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग हुआ नहीं कहा जा सकता है। तद् नुसार प्रश्नगत शिकायत पर किसी अन्य वजह से नाराज श्रीमान जनपद् न्यायाधीश द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।

1(a)(iv) इस प्रतिकूल टिप्पणी में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा है, "उपरोक्त मौखिक शिकायतों के आधार पर मैनें व्यक्तिगत रुप से सत्यापित किया तो पाया कि श्री संदीप कुमार पीठासीन अधिकारी ने इस संबन्ध में प्रतिकूल

आदेश पारित किये है, आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाये गये है"।

इस टिप्पणी का सम्बन्ध स्तम्भ नम्बर (iii) की टिप्पणी से प्रतित होता है कि क्यूंकि मान्यवर ने लिखा है कि, " उपरोक्त मौखिक और लिखित....."

उल्लेखनीय है कि स्तम्भ नम्बर (iii) की उपरोक्त मौखिक लिखित शिकायत में न तो किसी मुकदमे का विवरण है, न तो किसी वादकारी का उल्लेख है, न ही किसी अधिवक्ता का विवरण है, ऐसे में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये गये मौखिक लिखित शिकायत को उपरोक्त मौखिक लिखित शिकायत कहकर श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय ने कैसे व्यक्तिगत रुप से सत्यापित कर लिया और अवधारित कर दिया कि उत्तरदाता प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया। उल्लेखनीय है की कोई भी स्थगन आदेश दूसरे पक्षकार के प्रतिकूल तो होगा ही। प्रार्थी पर यह आरोप नहीं है कि प्रार्थी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश विधि के प्रतिकूल है।

1(a)(v) इस स्तम्भ की प्रतिकूल प्रविष्टी में कहा गया है की " मैनें पीठासीन अधिकारी को सलाह दी कि एक न्यायिक अधिकारी की तरह व्यवहार करे और सत्य निष्ठा को बरकरार रखने वाले नियमों के अनुसार आदेश पारित करें, मैने आदेशो को संकलित किया और सत्यापन किया"।

इस आक्षेप पर उत्तरदाता प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय ने किसी भी मामले मे पारित किये गये आदेशों को सुधार करने के लिये कभी भी नहीं बुलाया और न ही कभी भी संरक्षक की भांति सुझाव देकर उचित मार्गदर्शन किया। मैं नया स्वतंत्र प्रभार / पैरेन्ट कोर्ट का मुख्यालय पर सिर्फ सात माह के अनुभव वाला अधिकारी था। प्रकटीकरण कि त्रुटियां पर्याप्त अनुभव न होने का कारण सम्भव हो सकती है। मगर ऐसी किसी गैर इरादतन त्रुटि को सुधारने के लिये न तो श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय ने और न ही उनकी तरफ से किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने प्रार्थी को बुलाकर शैली को सुधार करने की कभी सलाह दी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है की श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय ने यह गलत लिखा है कि उन्होंने सलाह दिया और प्रार्था ने उसका उल्लंघन किया। मै सम्पूर्ण सत्य निष्ठा से कहता हूँ कि मैने

कभी भी गॅवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कंडक्ट रुल 1960 का उल्लंघन नही किया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय ने यह भी नही लिखा कि किस मामले में किस तारिख पर को बुलाकर उन्होनें न्यायिक अधिकारी कि तरह व्यवहार करने का सुझाव दिया और कौन सा व्यवहार न्यायिक अधिकारी के व्यवहार के प्रतिकूल था?

**1(a)(vi)** इस स्तम्भ की प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध मे सिर्फ इतना निवेदन विनम्रतापूर्वक है की नाराज होने पर सक्षम अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा पारित आदेशो को प्रतिकूल प्रविष्टि का आधार बनाने के लिये पूर्वाग्रह से संकलित करे, समीक्षा करे तो त्रुटियाँ दिख सकती हैं। इन्ही त्रुटियों को सुधारने के लिये न्यायिक व्यवस्था में निगरानी, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, रिट और SLP का न्यायिक उपचार की व्यवस्था है। इस तरह की न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के बजाय निन्दा करना न्याय प्रशासन कि मन्शा नहीं है। यहीं पर अत्यन्त संक्षेप में यह निवेदन करना भी युक्तिसंगत होगा कि उत्तरदाता प्रार्थी द्वारा पारित तमाम आदेशो/निगरानी/अपील में इन्ही प्रतिकूल प्रविष्टि देने वाले श्रीमान जनपद् न्यायाधीश द्वारा पुष्ट किया है उदाहरण के लिये कार्यवृत्त न बढ़ाते हुए सिर्फ दो अपीलीय/ निगरानी का आदेश **संलग्नक 3 तथा 4** के रुप में स्पष्टिकरण के साथ संलग्न किये जा रहे है।

**1(a)(vii)** वादकारी एंव अधिवक्ता के साथ व्यवहार ठीक न होने की प्रतिकूल प्रविष्टि माननीय जनपद् न्यायाधीश महोदय ने किस आधार पर की है किन–किन अवसरों पर प्रार्थी के दुर्व्यवहार की किन–किन द्वारा शिकायतें की गयी और वह शिकायतें कहाँ है? इसका कोई विवरण इस स्तम्भ की टिप्पणी में नहीं दिया गया है। इस लिये किस शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत की जिसका श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय द्वारा क्या संज्ञान लिया गया इसका स्पष्टिकरण देना सम्भव नही है।

**1(a)(viii)** प्रार्थी के निजी जीवन का चरित्र आमजनता के आकलन में उत्तरदाता कि छवी धूमिल करने वाले है इस निष्कर्ष रुपी प्रतिकूल टिप्पणी का आधार

क्या है यह व्यक्त करने में श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय असमर्थ रहे है, जाहिर है यह टिप्पणी वैमनस्य एंव दुर्भावना के स्तर की है।प्रार्थी शादीशुदा है, बालबच्चेदार है, माता–पिता है, प्रार्थी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने दायित्वों का शिकायत रहित निर्वहन करता है। किसी वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी के प्रति यथेस्ठ व्यवहार करता रहा है। करीब 6 वर्ष 8 माह के अब तक के सेवा काल में इस संदर्भ में निस्कलंक आचरण रहा है। अब तक 100 से अधिक अधिकारीगण और कई सौ कर्मचारीयों के साथ व्यवहृत रहा है, प्रार्थी के प्रति किसी बार एसोसिएसन का कोई प्रतिकूल प्रस्ताव नहीं रहा है। किसी भी जनपद् न्यायाधीश ने वार्षिक निरीक्षण में कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नही की है। प्रतिकूल टिप्पणी दाता श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय के पूर्व किसी पूर्व वर्ती जनपद् न्यायाधीश महोदय ने प्रार्थी के निजी जीवन चरित्र पर ऐसा कोई आक्षेप नही किया है। ऐसे में प्रतिकूल प्रविष्टि दाता श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय ने नान वेरिफियेबिल ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि क्रोध वश प्रार्थी का कैरियर नष्ट करने के लिये किया है जो विधि के समक्ष संधार्य नही है।

**1(a)(ix)** इस स्तम्भ कि प्रविष्टि प्रतिकूल नही है लिहाजा किसी स्पष्टिकरण की आवश्यक्ता नही है।

**1(a)(x)** इस स्तम्भ कि टिप्पणी पर स्तम्भ नम्बर (ii) व (iii) का जवाब पढ़े जाने योग्य है

**1(a)(xi)एवं 1(a)(xii)** टिप्पणी के स्तम्भ 01(f) में माननीय जनपद् न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी की है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय तथ्य एंव विधि पर अच्छे से भलीभांती कारण सहित स्पष्ट तौर पर अच्छी भाषा में नही लिखे गये है।

टिप्पणी के स्तम्भ 01(f)(i),0(1)(f) (ii) एंव 01(f)(iii)में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए लिखा है कि पीठासीन अधिकारी का वाद के तथ्यो को प्रकट करने में, साक्ष्य की व्यख्या करने में और विधि कि व्याख्या करने में व्यवहार खराब रहा है

उपरोक्त दोनो स्तम्भ कि टिप्पणी के संदर्भ में सिर्फ इतना ही निवेदन पर्याप्त होगा की प्रतिकूल प्रविष्टि दाता श्रीमान जनपद् न्यायाधीश महोदय न तो किसी निर्णय को उद्धरित किया है और न ही प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ संलग्न किया है ऐसी परिस्थिति में विशिष्ट स्पष्टीकरण दिया जा सकना सम्भव नहीं है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय का आंकलन कि, "विधि की व्याख्या करने में व्यवहार खराब रहा है "भ्रामक अस्पष्ट और अपुष्ट है। विधि की तथ्य परक वयाख्या करने में त्रुटि होना खासकर अधीनस्त न्यायालय के अधिकारी द्वारा सम्भाव्य है लेकिन विधि की तथ्य परक व्याख्या करने से ऐसी त्रुटि से व्यवहार खराब होने का आक्षेप असंगत है। ऐसा लगता है कि तथ्य व विधि की किसी प्रश्नगत मामले में उदाहरण के साथ चर्चा करने के बजाए श्रीमान जी ने कुपित होकर प्रतिकूल प्रविष्टि के पूर्वाग्रह के अधीन यह टिप्पणी की है।

**1(a) (xiii)** स्तम्भ 1 एच में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने प्रतिकूल टिप्पणी में कहां है " अधिकारी का अपने कार्यालय पर उचित नियंत्रण नहीं है और उनमें प्रशासनिक दक्षता भी नही है "। वास्तविकता यह है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तिम दिवस तक प्रतिकूल प्रविष्टि दाता श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय प्रार्थी के कार्य, आचरण, व्यवहार, कार्यालय पर नियंत्रण, प्रदत्त जिम्मेदारियों के दक्षता पूर्ण निस्पादन के सम्बन्ध में न केवल संतुष्ट व खुश रहे थे बल्कि मासिक गोष्ठियों में भी खुले आम तारीफ करते थे। इतना ही नही विभिन्न प्रकार का अतिरक्त प्रभार भी सौपें थे, **(जैसे प्रतिलिपि (सिविल व फौजदारी) विभाग का प्रभार, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अमीन कमीशन का प्रभार, तथा तीन रिक्त न्यायालयों का प्रभार यथा सिविल जज (प्र०ख०)प्रथम, सिविल जज (प्र०ख०)द्वितीय, सिविल जज (प्र०ख०)एफ.टी.सी , प्रशासनिक समिति के सदस्य का प्रभार, एक्शन प्लान कमेटी के सदस्य का प्रभार, कर्मचारियों के ग्रीवान्स रिड्रशल कमेटी के सदस्य का प्रभार, विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य का प्रभार तथा जनपद मुख्यालय के इन्फ्रास्ट्रेक्चर कमेटी के सदस्य का प्रभार इत्यादि)** प्रार्थी उत्तरदाता न्यायालय के न्यायिक कार्य सम्पादन के बाद उपरोक्त दस अतिरिक्त प्रभारो का सम्पूर्ण निष्ठा पूर्वक दक्षता के साथ सम्पादन किया था। इसलिए जब तक प्रार्थी जनपद सुल्तानपुर में रहा उपरोक्त

अतिरिक्त प्रभार में से कोई भी प्रभार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने वापस नही लिया यदि प्रार्थी उत्तरदाता अपने दिय्तव के निर्वाहन में कुशल और दक्ष न होता तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय प्रार्थी को उपरोक्त प्रभार न देते।इन अतिरिक्त प्रभारो से उत्तरदाता प्रार्थी तभी मुक्त हुआ जब उसका जनपद से उसका स्थानान्तरण हुआ दिनांक 12.04.2021 को कार्यभार छोड़ दिया और नये जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

वास्तव में श्रीमान जनपद न्यायाधीस महोदय के कार्यकाल में जजशीप में काफी गुटबन्दी थी कुछ कर्मचारी/अधिकारी उनके बड़े करीबी हो गये थे और जासूस की तरह और कानाफूँसी करके झूँठी शिकायतें करते थे। ऐसी ही किसी प्रतिस्पर्द्धी वातावरण में प्रार्थी उत्तरदाता के विरुद्ध हुयी कानाफूँसी और आधार हीन शिकायत पर बिना विचार किये संज्ञान लेकर प्रार्थी के स्थानान्तरण के 127 दिन बाद उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की गयीं हैं। उल्लेखनीय है कि चरित्र पंजिका में उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज करते समय वह भूल गये कि उन्होनें ही प्रार्थी उत्तरदाता के कार्य, दक्षता और अचारण की वार्षिक समीक्षा करते समय निष्कर्ष दिया है कि " **पीठासीन अधिकारी द्वारा पुरातन वादो के निस्तारण में रूचि ली जा रही है। पीठासीन अधिकारी प्रत्येक दिन न्यायिक कार्य में वयस्त रहे है तथा पीठासीन अधिकारी का अधीनस्त कर्मचारी पर प्रभावी <u>नियंतरण</u> है तथा न्यायालय एंव कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी का कार्यव्यवहार सन्तोष जनक है"**

इसी प्रकार दिनांक 31.03.2021 को प्रार्थी के अमानत के प्रभार जिसमें तीन अमीनो के कार्य का सुपरविजन प्रार्थी उत्तरदाता करता था का वार्षिक निरीक्षण करते समय प्रतिकूल प्रविष्टि दाता माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने ही निरीक्षण टिप्पणी में लिखा हे कि–

> **"अमानत विभाग में नियुक्त तीनों अमीनो का कार्य सन्तोष जनक है। प्रभारी अधिकारी अमानत का इस अनुभाग में कार्यरत अमीनों पर प्रभावी नियन्त्रण पाया गया"।**

उत्तरदाता प्रार्थी को घोर आश्चर्य है कि जिन जनपद न्यायाधीश महोदय का प्रार्थी अतिविश्वास पात्र, कर्मठ और आवंटित सभी कार्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन कर पाता था उन्ही जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के स्थानान्तरण के चार माह बाद ऐसा क्या हो गया कि वार्षिक प्रविष्टि के सभी स्तम्भो में यथा सम्भव मोस्ट निगेटिव प्रविष्टियाँ बिना तथ्यात्मक विश्लेषण के की गयी। प्रार्थी उत्तरदाता को अब भी विश्वास है कि समसामयिक अन्य

अधिकारियों को भले की प्रतिकूल प्रविष्टि दी हो लेकिन प्रार्थी की प्रतिकूल प्रविष्टियां किसी की विद्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी शिकायत पर दी गयी है।

**01(a)(i)** स्तम्भ 01(i) में आक्षेप किया गया है कि " अधिवक्ता संघ के साथ पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध ठीक नही थे "। इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रार्थी के विरूद्ध सुलतानपुर जिला बार एसोसिएशन या कादीपुर बार ऐसोसिएशन की तरफ से न्यायालय के बहिस्कार अथवा प्रार्थी की शिकायत सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पारित नही हुआ। कदाचित ऐसा हुआ होता तो उक्त अधिवक्ता का संघ का प्रतिकूल प्रस्ताव आवश्यक ही संलग्न किया गया होता।

**01(m)** इस स्तम्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी किया है कि " अधिकारी उनके व वरिष्ठ अधिकारीयों के सुझाव की अनदेखी करता था इस टिप्पणी के साथ साक्ष्य के रूप में किन्ही संलग्नक का हवाला दिया है " इस आक्षेप के सम्बन्ध में प्रार्थी को सिर्फ इतना कहना है कि जबतक प्रार्थी जनपद सुलतानपुर में रहा उसके विरूद्ध किसी वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, समकक्ष अधिकारी ने कोई भी शिकायत इस प्रकृति की नही की कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव की अनदेखी की।

प्रार्थी के स्थानान्तरण के चार माह बाद यदि कोई ऐसी शिकायत संज्ञान में ले ली जाती है तो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध शिकायत मानी जायेगी। क्योंकि प्रार्थी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कोई अवसर ही नही रहा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव की अनदेखी का संज्ञान लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने मुझे मौखिक रूप से भी कभी नही बताया, D.O देने की बात कौन कहे। उल्लेखनीय है कि प्रतिकूल प्रविष्टि के स्तम्भ में उल्ललिखित संलग्नक वास्तव में अभिलेख पर नही है। प्रार्थी सिर्फ इतना जानता है कि विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में वरिष्ठ अधिकारी के साथ काम करते समय, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के दृष्टिकोण व सहयोग की कई बार सराहना की गयी थी।

**<u>प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का स्पष्टीकरण–</u>**

**पहला** दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय का पत्र संख्या–ए–886/2021, गोपन विभाग दिनांकित 24.06.2021 है। इस पत्र के जरिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता का शिकायत के

संदीप कुमार

सम्बन्ध में पुष्टिकारक शपथ पत्र मांगा गया है। इस पत्र पर प्रार्थी को कुछ भी सफाई देने का औचित्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के इस पत्र के साथ अधिवक्ता आर.टी.सिंह, अधिवक्ता नीरज कुमार उपाध्याय व अनिल कुमार सिंह (प्राईवेट शिकायतकर्ता) की शिकायतों को संलग्न करते हुए अधिवक्ता नीरज कुमार की शिकायत पर दिनांक 13.04.2021 का प्रतिकूल प्रविष्टिदाता माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का आदेश भी अपलोड किया गया है।

यघपि कि पुनरूक्ति होगी तथापि यह स्पष्ट करना उचित हैं कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय का उक्त आदेश प्रार्थी के लिए ना तो D.O. हो सकता था न ही सुझाव हो सकता था और न ही दिनांक 13.04.2021 का प्रतिकूल प्रविष्टिदाता माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का सुझावात्मक आदेश को Seen कराया गया। दिनांक 13.04.2021 का यह आदेश दिनांक 12.04.2021 को कार्यभार छोड़ने के बाद पारित किया गया है। इसलिए यह आदेश भी प्रार्थी के स्थानान्तरण के बाद बिना किसी मुकदमे का जिक्र किये गढ़े गये तथ्यों के आधार पर की गयी शिकायत पर विधि विरूद्ध संज्ञान लेने के बाद पारित किया गया। शिकायतकर्ता नीरज उपाध्याय ने पेशेगत प्रतिस्पर्द्धा में वांछित आदेश न पाने के कारण बिना शपथ पत्र के शिकायत की थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर व शासन के शासनादेश के अनुपालन में बिना शपथ पत्र के शिकायत पर संज्ञान ही नही लेना चाहिए था। श्री उपाध्याय की शिकायत तथ्यहीन, भ्रामक, गढी हुयी और गैर विर्निदिष्ट है। इसपर प्रार्थी के स्थानान्तरण पर कार्यभार छोड़ने के बाद आचरण में सुधार के लिए अपेक्षा करने और सूचित होने की टिप्पणी अव्यवहारिक और उद्देश्यहीन है क्योंकि प्रार्थी को इसे सूचित नहीं किया गया।

इस प्रकार आर.टी.सिंह व अनिल कुमार की शिकायत भी शपथ पत्र से समर्पित नहीं है, इसलिए इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता हैं।

जहाँ तक प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ संलग्न किये गये 11 मूलवाद में पारित किये गये आदेश एंव उनके अभिलेखों(वाद पत्र) को संलग्न करके प्रतिकूल प्रविष्टि के बल देने का प्रश्न हैं, इस सम्बन्ध में इसी अभ्यावेदन में कारण सहित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा स्पष्टीकरण की पुर्नावृति करके निवेदन करना है कि कोई भी दीवानी मूलवाद योजित करना और उसमें कोई आधारभूत त्रुटि होने पर उसे वापस लेकर पुनः योजित करना वादी का विधिक अधिकार है, प्रश्न है कि जब न्यायालय की अनुमति से वाद वापस लेकर कमियों को सुधार कर दुबारा

करीब–करीब उसी विवाद से सम्बन्धित वाद योजित किया जाये तो ऐसे वाद को अंगीकार करने से न्यायालय इन्कार नही कर सकता। जहाँ तक एक पक्षीय तात्कालिक परिस्थितियों मे यथा स्थिति

अथवा स्थगन आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है उत्तरदाता प्रार्थी ने सभी मामलो में आदेश 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही कार्यवाही की हैं। जिन मामलो में वादी का प्रथम दृष्टया केस बन रहा था और सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में था और यथास्थिति या अस्थाई स्थगन आदेश पारित न होने पर वादी को अपूर्णनींय क्षति होना सम्भावित थी उन्हीं मामलो मे यथा स्थिति आदेश पारित किये गये है। किसी भी मामले में prohibitory आदेश पारित नहीं किया गया है। चूंकि प्रार्थी उस समय पैरेन्ट कोर्ट में काम कर रहा था और यह सभी अभिलेख पैरेन्ट कोर्ट की कार्यवाही से सम्बन्धित है, जहां पर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई और आदेश पारित करने के लिये बहुत समय नही होता था इसलिये बहुत व्यापक आदेश पारित नहीं हो सकते थे। ऐसे में त्रुटि ढूंढने की मंशा से समपरीक्षा करने पर कोई त्रुटि दिख सकती है लेकिन प्रार्थी के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें प्रार्थी के उपरोक्त आदेशों को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गयी हो और माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया हो।

प्रार्थी ने सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा और सद् भाव पूर्वक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में तात्कालिकता को देखते हुये विधि सम्मत आदेश पारित किये है जिनमें किसी को अनुचित लाभ देने या विधि को परास्त करने की मंशा नहीं रही हैं। इस सन्दर्भ में प्रार्थी मूलवाद संख्या 768/1987 महन्थराम आदि बनाम कल्पूराम आदि के निर्णय की प्रति संलग्न करते हुये स्पष्ट करना चाहता है कि प्रार्थी ने प्रत्येक मामले की गुणदोष पर व्याख्या की है और सभी निर्णय और आदेशों में विचारणीय विवादको को सृजित कर तथ्य के आलोक में उनकी सम्यक व्याख्या की है और समेकित निष्कर्ष के आधार पर ही आदेश और निर्णय पारित किये है। (संलग्नक–5, निर्णय की प्रति)

यही पर निगरानी संख्या 3/2021 दिनेश सिंह आदि बनाम पवन कुमार आदि एवं सिविल निगरानी संख्या 04/2021 रविशंकर आदि बनाम पवन कुमार आदि के निगरानी आदेश की प्रतियां संलग्न करके प्रार्थी स्पष्ट करना चाहता है कि
जो भी शिकायत / D.O./ सुझाव इत्यादि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रशासनिक हैसियत से की है वह सबप्रार्थी के

स्थानान्तरण के बद प्रकाश में आया जबकि न्यायिक क्षेत्र में प्रार्थी द्वारा पारित किये गये आदेशों की निगरानी में समीक्षा करते समय इन्ही प्रतिकूल प्रविष्टि देने वाले माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने न केवल निगरानी खारिज की है बल्कि मुखर होकर लिखा है कि " **उपरोक्त समस्त विशेलेषण के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि विद्वान सिविल जज (प्र०ख०), सुलतानपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक या क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि परिलक्षित नही होती। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तद् नुसार निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है**" ।

अब तक करीब–करीब 6 वर्ष 8 माह की न्यायिक सेवा में प्रार्थी का व्यवहार व आचरण कलंक रहित रहा है। आउट लाईन कोर्ट सहित प्रार्थी करीब–करीब पाँच अधिष्ठानो में काम कर चुका है किसी भी अधिष्ठान के अधिवक्ता संघ द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध शिवाय इन गढी हुयी व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा में दूसरे के नाम से की गयी शिकायतों के, कभी कोई शिकायत नही हुयी है, न ही प्रार्थी के कार्य आचरण से क्षुब्ध होकर न्यायालय के बहिष्कार का प्रस्ताव आया है।

अपने कार्य और मुकदमो के बोझ तथा अधिवक्ता के हड़ताल इत्यादि के परिस्थितियों का जिक्र करना यहाँ उचित है, जिसके अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि के वित्तीय वर्ष अर्थात दिंनाक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के न्यायिक कार्य में कुल 182 दिन के कार्य दिवस थे। इस बीच में राजकीय अवकाश, कोरोना पैडमिक इत्यादि के कारण 183 दिन कार्य नहीं हो पाया। कुल 182 कार्य दिवस में प्रार्थी द्वारा यूनिट के हिसाब से किये गये कुल कार्य **275.51 प्रतिशत** थे। यह आकड़ा रखना इसलिए उचित है कि ताकी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ सके कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण क्षमता के साथ दायित्व का निर्वहन किया गया है।

## प्रार्थना

प्रतिकूल प्रविष्टि पर दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण एंव निवेदन के अधीन उत्तरदाता प्रार्थी का सम्पूर्ण विनम्रता के साथ माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 में प्रार्थी के विरूद्ध की गयी प्रतिकूल टिप्पणी और आक्षेप को अपास्त करके यथेष्ट वार्षिक प्रविष्टि दर्ज करने की महती कृपा की जाये।

सादर।

दिनांक– 29.09.2021

भवदीय,

संदीप कुमार

(सन्दीप कुमार)

अपर सिविल जज, (प्र०ख०), द्वितीय,

जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

JO Code–UP2119

संलग्नक - 1

From,

**Sheo Kumar Singh-I, HJS,**
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

**All the District & Sessions Judges /OSDs,**
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

**C.L.No.1416/Conf. Dated: 11.6.15 Allahabad**

**Sub: Guidelines for dealing with the complaints against the officers of subordinate judiciary.**

Madam/Sir,

Hon'ble the Chief Justice of India has expressed deep concern on the growing number of complaints received in the High Courts against the members of subordinate judiciary with the ulterior motive of tarnishing the image of judiciary. Though some of these complaints may be genuine but a majority of such complaints are made at the behest of those who have vested interest with a personal agenda, within and outside the institution, Hon'ble the Chief Justice of India has found it imperative to devise uniform procedure to be followed by all the High Courts while dealing with such complaints.

Hon'ble the Chief Justice of India, in this regard, has laid down following guidelines :

1. The complaint making allegations against members of the Subordinate Judiciary in the State should not be entertained and no action should be taken thereon, unless it is accompanied by a duly sworn Affidavit and verifiable material to substantiate the allegations made thereon.
2. If action on such complaint meeting the above requirement is deemed necessary, authenticity of the complaint should be duly ascertained and further steps thereon should be taken only after satisfaction of the competent authority designated by the Chief Justice of the High Court.
3. If the above requirements are not complied with, the complaint should be filed/lodged without taking any steps thereon.

I am to request you to follow the aforesaid directions/guidelines and to give a wide publicity of the same by affixing the copy of these guidelines in a conspicuous place (notice board) of your judgeship (including outlying

संलग्नक - 2



Supreme Court of India

State Of U.P vs Yamuna Shanker Misra & Anr on 21 February, 1997

Bench: K. Ramaswamy, S. Saghir Ahmad

PETITIONER:
STATE OF U.P.

Vs.

RESPONDENT:
YAMUNA SHANKER MISRA & ANR.

DATE OF JUDGMENT: 21/02/1997

BENCH:
K. RAMASWAMY, S. SAGHIR AHMAD

ACT:

HEADNOTE:

JUDGMENT:

O R D E R Leave granted. Heard learned counsel for the parties. This appeal by special leave arises from the Judgment of the Allahabad High Court, Lucknow Bench, made on 2.12.1993 in Writ Petition No.9458 (SS)/93.

The adverse remarks for the years 1987-88 and 1988-89 were recorded in the confidential reports of the respondent. As a consequence, he was not promoted. When claim was made before the Service Tribunal, the Service Tribunal allowed the petition and quashed the adverse remarks recorded for the periods from 1.12.1988 to 31.3.1989 and 1.4.1989 to 30.9.198. While recording that, the Tribunal held that the remarks made by the Secretary, Food & Civil Supplies were due to malice and they smack of arbitrariness. The High Court on a writ petition, by the impugned order, has affirmed the same. Thus, this appeal by special leave.

In S.Ramachandra Raju vs. State of Orissa [1994 Supp.(3) SCC 424], this Court underlined the need to write confidential] reports objectively, fairly and dispassionately in a constructive manner either commenting/downgrading the conduct, character, efficiency or integrity of the officer in that behalf. If is stated in para 11 that from the year 1973-74, the performance of the duty by the appellant therein was consistently as `satisfactory' to ' `fair' except for the year 1987-88 in which year he dropped down suddenly as an average or below average teacher. In that behalf it was held that "when he was a responsible teacher and he had cordial relations with the student community, and

Indian Kanoon - http://indiankanoon.org/doc/1146354/

the boots of the corrupt superior officer. They develop a sense of self-pride for their honestly, integrity and apathy and inertia towards the corrupt and tend to undermine or show sings of disrespect or disregard towards the corrupt. Thereby, they not only become inconvenient to the corrupt officer but also stand as an impediment to the ongoing smooth symphony of corruption at a grave risk to their prospects in career or even to their tenure of office. The term "efficiency" is an elusive and relative one to the adept capable to be applied in diverse circumstances. It a superior officer develops liking towards sycophant, corrupt, he would tolerate him and find him to be efficient and pay encomiums and corruption in such cases stand no impediment, When he finds a sincere, devoted and honest officer to be inconvenient, if is easy to cast him/her off by writing confidential, reports with delightfully vague language imputing to be `not up to the mark', `wanting public relations' etc. At times they may be termed to be `security risk' to their activities, Thus, they spoil the career of the honest, sincere and devoted officers. Instances either way are galore in this regard. Therefore, one would be circumspect, Pragmatic and realistic to these actualities of life while angulating constitutional validity of wide, arbitrary, uncanalised and unbridled discretionary power of dismissal vested in an appropriate authority either by a statue or a statutory rule."

In State Bank of India & Ors. vs. Kashinath Kher & Ors. [(1996) 8 SCC 762 AT 771 in para 15], this Court pointed out that the object of writing the confidential report is two- fold, i.e., to give an opportunity to the officer to remove deficiencies and to inculcate discipline, Secondly, it seeks to serve improvement of quality and excellence and efficiency of public service. This Court in Delhi Transport Corpn. case (supra) pointed out the pitfalls and insidious effects on service due to lack of objectives by the controlling officer. Confidential and character reports should, therefore, be written by superior officers higher above the cadres. The officer should show objectivity, impartiality and fair assessment without any prejudices whatsoever with the highest sense of responsibility alone to inculcate devotion to duty, honesty and integrity to improve excellence of the individual officer. Lest the officers get demoralised which would be deleterious to the efficacy and efficiency of public service. Therefore, they should be written by a superior officer of high rank. who are such high rank officers is for the appellant to decide. The appellants have to prescribe the officer in rank above the officer in rank above the officer who has written confidential report to review such report. The appointing authority or any equivalent officer would be competent to approve the confidential reports or character rolls. This procedure would be fair and reasonable. The reports thus written would form the basis for consideration for promotion. The procedure presently adopted is clearly illegal, unfair and unjust". In U.P. Jal Nigam & Ors. vs. Prabhat Chandra Jain & Ors. [(1996)2 SCC 363 at 634 para 3], this court had held that while writing the confidential reports, if the official were to be downgraded from the previous reports, "as we view it, the extreme illustration given by the High Court may reflect an adverse element compulsorily communicable, but if the graded entry is of going a step down, like falling from `very good' to `good' that may not ordinarily be an adverse entry since both are a positive grading. All that is required by the authority recording confidentials in the situation is to record reasons for such downgrading on the personal file of the officer concerned, and inform him of the change in the form of an advice. If the variation warranted to be not permissible, then the very purpose of writing annual confidential reports would be frustrated. Having achieved an optimum level, the employee on his part may slacken in his work, relaxing secure by his one-time achievement. This would be an undesirable situation. All the same the sting of adverseness must, in all events, not be reflected in such variations, as otherwise they shall be communicated as such. It

should share the information which is not a part of the record with the officer concerned, have the information confronted by the officer and then make it part of the record. This amounts to an opportunity given to the erring/corrupt officer to correct the errors of the judgment, conduct, behaviour, integrity or conduct/corrupt proclivity. If, despite given giving such an opportunity, the officer fails to perform the duty, correct his conduct or improve himself necessarily, the same may be recorded in the confidential reports and a copy thereof supplied to the affected officer so that he will have an opportunity to know the remarks made against him. If he feels aggrieved, it would be open to him to have it corrected by appropriate representation to the higher authorities or any appropriate judicial forum for redressal. Thereby, honesty, integrity, good conduct and efficiency get improved in the performance of public duties and standards of excellence in services constantly rises to higher levels and it becomes successful tool to manage the services with officers of integrity, honesty, efficiency and devotion.

It is seen from the record that the respondent maintained constantly good record earlier to the adverse remarks made for the aforesaid period. It would appear that subsequently also he had good confidential reports on the basis of which the clouds over his conduct were cleared and he was given further promotion. Mr. Rakesh Dwivedi, learned Advocate General, in fairness, therefore, has stated that since the respondent has been regularised after the subsequent good reports, the dispute does not survive for adjudication on merits. But the counter comments made against him by the Secretary were warranted in view of the material on record. He brought to our notice that as on the date when the entries were made, the vigilance enquiry was pending against the respondent and, therefore, the adverse remarks came to be made. The findings recorded by the Tribunal of malice and arbitrariness on the part of Secretary as affirmed by the High Court are not warranted for two reasons. Firstly, since the Secretary was not co- nominee to the proceedings and had no opportunity to explain the position, it would be violative of the principle of natural justice. Secondly, since the vigilance enquiry was pending. unless the officer was exonerated and cleared from the cloud, necessarily, the Secretary could not clear the conduct and integrity of the officer. Therefore, the adverse remarks cannot be said to be to smack of arbitrariness, The appeal is accordingly allowed only the above extent. No costs.

संलग्नक - 3

**न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।**

**उपस्थितः संतोष राय, एच०जे०एस०,**

(J.O. Code. UP 6523)

**सिविल निगरानी संख्या–03/2021**

(C.N.R. No. UPST010007352021)

1. दिनेश सिंह
2. पुष्पेन्द्र सिंह
3. संजय सिंह
4. सभा बहादुर सिंह

} पुत्रगण स्व0 अवधेश सिंह

5. स्नेह लता सिंह पुत्री अवधेश सिंह
6. शीला बेवा अवधेश सिंह

साकिनान भेवई परगना आसल तहसील व जिला अमेठी

.....निगरानीकर्तागण

**बनाम**

1. पवन कुमार पुत्र त्रिलोकी सिंह
2. शेर बहादुर पुत्र त्रिलोकी सिंह
3. सत्यप्रकाश सिंह दत्तक पुत्र श्रीमती महराजी कुंवर बेवा जगदम्बा सिंह

साकिनान ग्राम इस्माइलपुर मजरे नगरडीह परगना आराल तहसील व जिला अमेठी

.....प्रतिपक्षीगण

**निर्णय**

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी निगरानीकर्तागण रवीशंकर आदि द्वारा मूल वाद संख्या 03/1989 त्रिलोकी सिंह आदि बनाम अवधेश सिंह आदि में विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), सुलतानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.01.2021 के विरूद्ध, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने सर्वे आयुक्त आख्या 110ग2 व नक्शा 111ग2 तथा अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या 146क2 को निरस्त किया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रतिपक्षीगण/वादीगण ने अवर न्यायालय में मूल वाद संख्या–03/1989 त्रिलोकी सिंह बनाम अवधेश सिंह आदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा तथा दखल जरिये इन्हदाम का अनुतोष प्राप्त करने हेतु निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद की कार्यवाही के

दौरान विवादित स्थल का सर्वे कमीशन कराया गया तथा सर्वे कमीशन रिपोर्ट 110ग2 मय नक्शा 111ग2 पर उभय पक्ष को सर्वे आख्या त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध निगरानी योजित की गयी, जिसे निगरानी न्यायालय द्वारा दि0 17.05.2019 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2018 को निरस्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया गया कि वे उभय पक्ष को सुनकर तथा नक्शा व सर्वे रिपोर्ट को गुनिया से माप कर उसकी सही विवेचना कर पुनः आदेश पारित करें। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः उभय पक्ष को सुनकर सर्वे आयुक्त आख्या 110ग2 मय नक्शा 111ग2 व अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या 146क2 को निरस्त कर दिया गया।

3. अवर न्यायालय की मूल पत्रावली मय आलोच्य आदेश मेरे समक्ष उपलब्ध है।

4. संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विद्वान अवर न्यायालय ने सर्वे आयुक्त आख्या में गाटा सं0 428 की पूर्वी भुजा की नाप को 28 लाठा उल्लिखित होना कहा है, जबकि फाइनल नक्शा चकबंदी की नाप 22 लाठा के नाप का ही नक्शा नं0 1 बना हुआ है और यही नक्शा नं0 1 गाटा सं0 405 का मुताबिक नाप नक्शा फाइनल चकवन्दी मौके की स्थिति का चित्रण है। मात्र उक्त टंकण गलती को अपने निष्कर्ष का आधार बनाकर सर्वे रिपोर्ट को निरस्त करने में विद्वान अवर न्यायालय ने भूल की है। गाटा सं0 405 की पैमाइश तीन निश्चित बिन्दुओं क्रमशः पश्चिम, उत्तर व दक्षिण से करके गाटा सं0 405 को निकाला गया और तदनुसार विवादित जायदाद की स्थिति को स्पष्ट किया गया, जिसको नजरअंदाज करके सर्वे कमीशन रिपोर्ट को खारिज करने में विद्वान अवर न्यायालय ने महान भूल किया है। सर्वे आयुक्त महोदय द्वारा पश्चिम दिशा से पैमाइश करने के उपरान्त उत्तर व दक्षिण दिशा से पैमाइश करके अपनी पश्चिम से की गयी नाप का सत्यापन किया है और उस सत्यापन की कड़ी में सरहददी मौजा गुडडी की गाटा सं0 2 की पश्चिमी भुजा की नाप सर्वे आयुक्त द्वारा टंकण की गलती से 20 की जगह 30 टंकित हो जाने के कारण विद्वान अवर न्यायालय ने पूरी सर्वे रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है, जबकि मौजा गुडडी के पश्चिमी उत्तरी कोने पर स्थित सिहद्दा से पैमाइश की गयी है और उस सिहद्दा से गाटा सं0 2 का पश्चिमी दक्षिणी कोना मौके पर 8 लाठा व गाटा सं0 2 की दक्षिणी भुजा 16 लाठा मुताबिक नाप नक्शा व मौका सही पाकर आगे की पैमाइश बढ़ायी गयी है। गाटा सं0 2 का मौके पर कोई विवाद नहीं है। सर्वे कमीशन रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा नं0 2 मौजा नगरडीह

व नक्शा नं0 3 मौजा गुडडी की फाइनल नक्शा चकबन्दी की छायाप्रति है, जिसमें नाप किये गये स्थान को लाल निशान से चिन्हित किया गया है, जो फील्ड बुक का संकेतक है। नक्शा नं0 2 में गाटा सं0 405 में पूरब तरफ सर्वे आयुक्त महोदय ने अक्षर ग को दिखाया है। इस अक्षर के संकेत को नक्शा नं0 3 की गाटा सं0 265 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर स्थित सिहददा से 4 लाठा पश्चिम पर होना सर्वे कमीशन रिपोर्ट में कहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए विद्वान अवर न्यायालय ने ग बिन्दु के बावत् दि0 17.01.2020 को अतिरिक्त आख्या आहूत किया था, जिसके बावत् अतिरिक्त आख्या सर्वे आयुक्त द्वारा दि0 01.02.2020 को देकर स्पष्ट कर दिया गया है, जो नक्शा व मौका के हिसाब से सही है। इसके बावजूद उस अतिरिक्त आख्या को नजरअंदाज किया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह उल्लिखित किया है कि सर्वे आयुक्त ने पक्की सडक, उसकी पटरी व खंती की कोई माप अपनी आख्या में नहीं दिया है, जबकि नक्शा नं0 3 पैमाने पर निर्मित है। पैमाना की नाप से निर्मित नक्शा नं0 3 मौके के अनुरूप बना हुआ है और इसी तरह से नक्शा नं0 3 में दर्शित गाटा सं0 405 व पूरब स्थित सडक व उसके बीच की दूरी की नाप भी पैमाने पर है, जिसको बिल्कुल नजरअंदाज करके गलत निष्कर्ष अवधारित किया गया है। गाटा सं0 420, 415, 416, 417, 418, 419 सी0एच0 41 में सडक दर्ज है और मौके पर सडक पटरी व उसकी खंती के रूप में विद्यमान है, लेकिन विद्वान अवर न्यायालय ने इस वास्तविक तथ्य को दरकिनार करते हुये गाटा सं0 416, 417 के खतौनी के नुमाइशी इंद्राज, जोकि मौके पर सडक का उल्लेख करके विवाद बरपा किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में विवादित तामीर को स्वयं ही गाटा सं0 405 में होने का संकेत दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तथा यह तथ्य केवल सर्वेयर द्वारा ही निकाला जा सकता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश एवं औपचारिक आदेश विधि की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, जो विधि द्वारा उनमें निहित नहीं हैं तथा स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग न करके प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतः निगरानी को स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली व आलोच्य आदेश का सम्यक परिशीलन किया।

6. विद्वान सिविल जज (प्र0ख0), कोर्ट नं0–15, सुलतानपुर ने सर्वे आयुक्त आख्या 110ग2 व नक्शा 111ग2 तथा अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या 146क2 इस

आधार पर निरस्त कर दिया कि नक्शा बंदोबस्त व सर्वे आयुक्त की आख्या में भिन्नता है तथा सर्वे आयुक्त की आख्या मौके के बिल्कुल विपरीत तैयार की गयी है। सर्वे आख्या में गाटा सं0 428 की पूर्वी भुजा की माप 28 लाठा है, जबकि फाइनल नक्शा के अनुसार 22 लाठा है। इसी क्रम में पश्चिमी भुजा की माप 30 लाठा है, जबकि मौके पर 20 लाठा है। इस संदर्भ में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त मात्र लिपिकीय त्रुटि है। निगरानी के आधार में भी यह स्वीकार किया है कि सर्वे आयुक्त आख्या में गाटा सं0 428 की पूर्वी भुजा की नाप 28 लाठा है, जबकि फाइनल नक्शा चकबंदी की नाप 22 लाठा नक्शा सं0 1 में बना हुआ है। इसीप्रकार सर्वे आयुक्त द्वारा सरहदी मौजा गुडडी की गाटा सं0 2 की पश्चिमी भुजा की नाप सर्वे आयुक्त द्वारा टंकण की गलती से 20 की जगह 30 अंकित होना भी स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा बंदोबस्त व सर्वे आयुक्त आख्या व नक्शा का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। गाटा सं0 405 के पूर्वी भाग में सड़क है तथा उसके पूरब दक्षिण–उत्तर अन्य गाटा नंबर दर्शित किये गये हैं। सर्वे आयुक्त ने उक्त नक्शे में 1 इंच = 20 लाठा दर्शित किया है। तदनुसार अवर न्यायालय ने गुनिया से नापने पर यह पाया कि गाटा सं0 405 की पूर्वी भुजा अगेठी से दुर्गापुर रोड के पूर्वी किनारा के बीच की दूरी को 11 लाठा होना नक्शा में दर्शित किया है, जबकि नक्शा बंदोवस्त के अनुसार गाटा सं0 405 के पूरब जो सड़क है, वह मात्र 2 लाठा चौड़ी है। अतः इस बिन्दु पर भी आयुक्त नक्शा का नक्शा बंदोवस्त से विरोधाभास स्पष्टतः परिलक्षित है। गाटा सं0 405 के पूरब गाटा जो दर्शित किये गये हैं, जो सी0एच0–41 सड़क और मौके पर पक्की सड़क पटरी व खंती के रूप में है। विद्वान सिविल जज ने यह निष्कर्ष अवधारित किया है कि सर्वे आयुक्त ने अपनी आख्या में उक्त पटरी व खंती का कोई मापन नहीं किया, उक्त निष्कर्ष में भी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। सर्वे नक्शा के अनुरूप किसी खेत या गाटा की मूल सरहदों (Original boundaries) को भूमि पर पुनः स्थापित (Relaying) करने के लिए उन बिन्दुओं की आवश्यकता पड़ती है, जहां से मापन कार्य प्रारम्भ किया जा सके। ऐसे बिन्दुओं को स्थिर बिन्दु (Fixed points) कहते हैं। त्रिभुज के सिद्धान्त के अंतर्गत दो स्थिर विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा को आधार मानकर तीसरा बिन्दु ज्ञात किया जाता है। मापन में दो अनिवार्य शर्तें होती हैं, (1) दिये गये विन्दु से दूरी तथा (2) नापने की दिशा। यह जानने के लिए कि किन खेतों का आकार नक्शा से मिलान करता है तथा किस चौमेण्डा और सेहमेण्डा की स्थित में पूर्ववत् है। मौजा की सरहद पार मौजूद सिहद्दा, दोहद्दा अथवा तूदह को Fixed point

मान लेना चाहिए और तब वहीं से नापकर चौमेण्डा, या रोहमेण्डा की स्थिति की जांच कर लेना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि नाप में सतर्कता हेतु भूमि पर विद्यमान प्राकृतिक दशा के विवरण, जिनको नक्शा में दर्शाया नहीं जा सकता, परन्तु जिनका प्रभाव परिणाम पर पड़ता है, को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर्वे कमीशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि विवादित भूमि की चौहद्दी का निर्धारण कर फिक्स प्वाइन्ट से उसका नियमानुसार सही मापन किया जाए, जिससे विवादित गाटा की यथास्थिति निर्धारित की जा सके। सर्वे आयुक्त द्वारा अपनी आख्या में जो सड़क की चौड़ाई 2 लाठां की जगह 11 लाठा दर्शित की गयी है, वह भी त्रुटिपूर्ण है, जबकि सड़क व गाटा सं0 405 नक्शा बंदोबस्त के अनुसार आपस में सटे हुए हैं और सड़क मात्र 2 लाठा ही चौड़ी है। इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य व परिस्थितियां यह दर्शित करती हैं कि कमिश्नर से मापन का कार्य नियमानुसार न करके उपेक्षात्मक ढंग से किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मात्र कुछ लिपिकीय त्रुटि के आधार पर विद्वान सिविल जज ने सर्वे आयुक्त आख्या व नक्शे को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। अतः सर्वे आयुक्त आख्या व नक्शे का नक्शा बंदोबस्त से तुलनात्मक अवलोकन के आधार पर विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), सुलतानपुर ने प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों के दृष्टिगत सर्वे आयुक्त आख्या मय नक्शे व अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या को निरस्त करने के संदर्भ में जो निष्कर्ष अवधारित किया है, वह विधिसम्मत् है।

7. उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), सुलतानपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक या क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त की जाती है।
2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 11.01.2021 पुष्ट किया जाता है।
3. पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दि0 13.04.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

2.4.21

(संतोष राय)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर

दिनांक : 02–04–2021 ई0

3/4/21

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष राय)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर

दिनांक : 02–04–2021 ई0

संलग्नक-4

180



न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।
उपस्थितः संतोष राय, एच0जे0एस0,
(J.O. Code. UP 6523)
सिविल निगरानी संख्या—04/2021
(C.N.R. No. UPST010007342021)

1. रवीशंकर पुत्र देवीदीन
2. कृपाशंकर पुत्र देवीदीन
3. देवमती बेवा देवीदीन
4. सरोजा देवी
5. राजकुमारी
6. माया देवी
7. सीमा देवी

(4–7) पुत्रीगण देवीदीन

साकिनान नगरडीह परगना आसल तहसील व जिला अमेठी

......................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र त्रिलोकी सिंह
2. शेर बहादुर पुत्र त्रिलोकी सिंह
3. सत्य प्रकाश सिंह दत्तक पुत्र श्रीमती महराजी कुंवर बेवा जगदम्बा सिंह

साकिनान ग्राम इस्माइलपुर मजरे नगरडीह परगना आसल तहसील व जिला अमेठी

..............................प्रतिपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी निगरानीकर्तागण रवीशंकर आदि द्वारा मूल वाद संख्या 02/1989 त्रिलोकी सिंह आदि बनाम देवीदीन आदि में विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), सुलतानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.01.2021 के विरूद्ध, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने सर्वे आयुक्त आख्या 127ग2 व नक्शा 128ग2 तथा अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या 168क2 को निरस्त किया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रतिपक्षीगण/वादीगण ने अवर न्यायालय में मूल वाद संख्या—02/1989 त्रिलोकी सिंह बनाम देवीदीन विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा तथा दखल जरिये इन्हदाम का अनुतोष प्राप्त करने हेतु

निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। वाद की कार्यवाही के दौरान विवादित स्थल का सर्वे कमीशन कराया गया तथा सर्वे कमीशन रिपोर्ट 127ग2 मय नक्शा 128ग पर उभय पक्ष को सर्वे आख्या त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध निगरानी योजित की गयी, जिसे निगरानी न्यायालय द्वारा दि0 17.05.2019 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2018 को निरस्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया गया कि वे उभय पक्ष को सुनकर तथा नक्शा व सर्वे रिपोर्ट को गुनिया से माप कर उसकी सही विवेचना कर पुनः आदेश पारित करें। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः उभय पक्ष को सुनकर सर्वे आयुक्त आख्या 127ग2 मय नक्शा 128ग2 व अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या 168क2 को निरस्त कर दिया गया।

3. अवर न्यायालय की मूल पत्रावली मय आलोच्य आदेश मेरे समक्ष उपलब्ध है।

4. संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विद्वान अवर न्यायालय ने सर्वे आयुक्त आख्या में गाटा सं0 428 की पूर्वी भुजा की नाप को 28 लाठा उल्लिखित होना कहा है, जबकि फाइनल नक्शा चकबंदी की नाप 22 लाठा के नाप का ही नक्शा नं0 1 बना हुआ है और यही नक्शा नं0 1 गाटा सं0 405 का मुताबिक नाप नक्शा फाइनल चकबन्दी मौके की स्थिति का चित्रण है। मात्र उक्त टंकण गलती को अपने निष्कर्ष का आधार बनाकर सर्वे रिपोर्ट को निरस्त करने में विद्वान अवर न्यायालय ने भूल की है। गाटा सं0 405 की पैमाइश तीन निश्चित बिन्दुओं क्रमशः पश्चिम, उत्तर व दक्षिण से करके गाटा सं0 405 को निकाला गया और तदनुसार विवादित जायदाद की स्थिति को स्पष्ट किया गया, जिसको नजरअंदाज करके सर्वे कमीशन रिपोर्ट को खारिज करने में विद्वान अवर न्यायालय ने महान भूल किया है। सर्वे आयुक्त महोदय द्वारा पश्चिम दिशा से पैमाइश करने के उपरान्त उत्तर व दक्षिण दिशा से पैमाइश करके अपनी पश्चिम से की गयी नाप का सत्यापन किया है और उस सत्यापन की कड़ी में सरहददी मौजा गुडडी की गाटा सं0 2 की पश्चिमी भुजा की नाप सर्वे आयुक्त द्वारा टंकण की गलती से 20 की जगह 30 टंकित हो जाने के कारण विद्वान अवर न्यायालय ने पूरी सर्वे रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है, जबकि मौजा गुडडी के पश्चिमी उत्तरी कोने पर स्थित सिहददा से पैमाइश की गयी है और उस सिहददा से गाटा सं0 2 का पश्चिमी दक्षिणी कोना मौके पर 8 लाठा व गाटा सं0 2 की दक्षिणी भुजा 16 लाठा मुताबिक नाप नक्शा व मौका सही पाकर आगे की पैमाइश बढ़ायी गयी है। गाटा सं0 2 का मौके पर कोई

विवाद नहीं है। सर्वे कमीशन रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा नं0 2 मौजा नगरडीह व नक्शा नं0 3 मौजा गुडडी की फाइनल नक्शा चकबन्दी की छायाप्रति है, जिसमें नाप किये गये स्थान को लाल निशान से चिन्हित किया गया है, जो फील्ड बुक का संकेतक है। नक्शा नं0 2 में गाटा सं0 405 में पूरब तरफ सर्वे आयुक्त महोदय ने अक्षर ग को दिखाया है। इस अक्षर के संकेत को नक्शा नं0 3 की गाटा सं0 265 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर स्थित सिहद्दा से 4 लाठा पश्चिम पर होना सर्वे कमीशन रिपोर्ट में कहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए विद्वान अवर न्यायालय ने ग बिन्दु के बाबत् दि0 17.01.2020 को अतिरिक्त आख्या आहूत किया था, जिसके बाबत् अतिरिक्त आख्या सर्वे आयुक्त द्वारा दि0 01.02.2020 को देकर स्पष्ट कर दिया गया है, जो नक्शा व मौका के हिसाब से सही है। इसके बावजूद उस अतिरिक्त आख्या को नजरअंदाज किया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह उल्लिखित किया है कि सर्वे आयुक्त ने पक्की सड़क, उसकी पटरी व खंती की कोई माप अपनी आख्या में नहीं दिया है, जबकि नक्शा नं0 3 पैमाने पर निर्मित है। पैमाना की नाप से निर्मित नक्शा नं0 3 मौके के अनुरूप बना हुआ है और इसी तरह से नक्शा नं0 3 में दर्शित गाटा सं0 405 व पूरब स्थित सडक व उसके बीच की दूरी की नाप भी पैमाने पर है, जिसको बिल्कुल नजरअंदाज करके गलत निष्कर्ष अवधारित किया गया है। गाटा सं0 420, 415, 416, 417, 418, 419 एस0एच0 41 में सड़क दर्ज है और मौके पर सड़क पटरी व उसकी खंती के रूप में विद्यमान है, लेकिन विद्वान अवर न्यायालय ने इस वास्तविक तथ्य के बरवक्स जाकर गाटा सं0 416, 417 के खतौनी के नुमाइशी इंद्राज, जोकि मौके पर सडक है, का उल्लेख करके विवाद बरपा किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में विवादित तामीर को स्वयं ही गाटा सं0 405 में होने का संकेत दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तथा यह तथ्य केवल सर्वेयर द्वारा ही निकाला जा सकता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश एवं औपचारिक आदेश विधि की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, जो विधि द्वारा उनमें निहित नहीं हैं तथा स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग न करके प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतः निगरानी को स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली व आलोच्य आदेश का सम्यक परिशीलन किया।

6. विद्वान सिविल जज (प्र0ख0), कोर्ट नं0–15, सुलतानपुर ने सर्वे आयुक्त

आख्या 127ग2 व नक्शा 128ग2 तथा अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या 168क2 इस आधार पर निरस्त कर दिया कि नक्शा बंदोबस्त व सर्वे आयुक्त की आख्या में भिन्नता है तथा सर्वे आयुक्त की आख्या मौके के बिल्कुल विपरीत तैयार की गयी है। सर्वे आख्या में गाटा सं0 428 की पूर्वी भुजा की माप 28 लाठा है, जबकि फाइनल नक्शा के अनुसार 22 लाठा है। इसी क्रम में पश्चिमी भुजा की माप 30 लाठा है, जबकि मौके पर 20 लाठा है। इस संदर्भ में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त मात्र लिपिकीय त्रुटि है। निगरानी के आधार में भी यह स्वीकार किया है कि सर्वे आयुक्त आख्या में गाटा सं0 428 की पूर्वी भुजा की नाप 28 लाठा है, जबकि फाइनल नक्शा चकबंदी की नाप 22 लाठा नक्शा सं0 1 में बना हुआ है। इसीप्रकार सर्वे आयुक्त द्वारा सरहदी मौजा गुजडी की गाटा सं0 2 की पश्चिमी भुजा की नाप सर्वे आयुक्त द्वारा टंकण की गलती से 20 की जगह 30 अंकित होना भी स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा बंदोबस्त व सर्वे आयुक्त आख्या व नक्शा का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। गाटा सं0 405 के पूर्वी भाग में सड़क है तथा उसके पूरब दक्षिण–उत्तर अन्य गाटा नंबर दर्शित किये गये हैं। सर्वे आयुक्त ने उक्त नक्शे में 1 इंच = 20 लाठा दर्शित किया है। तदनुसार अवर न्यायालय ने गुनिया से नापने पर यह पाया कि गाटा सं0 405 की पूर्वी भुजा अमेठी से दुर्गापुर रोड के पूर्वी किनारा के बीच की दूरी को 11 लाठा होना नक्शा में दर्शित किया है, जबकि नक्शा बंदोबस्त के अनुसार गाटा सं0 405 के पूरब जो सड़क है, वह मात्र 2 लाठा चौड़ी है। अतः इस बिन्दु पर भी आयुक्त नक्शा का नक्शा बंदोबस्त से विरोधाभास स्पष्टतः परिलक्षित है। गाटा सं0 405 के पूरब गाटा जो दर्शित किये गये हैं, जो सी0एच0–41 सड़क और मौके पर पक्की सड़क पटरी व खंती के रूप में है। विद्वान सिविल जज ने यह निष्कर्ष अवधारित किया है कि सर्वे आयुक्त ने अपनी आख्या में उक्त पटरी व खंती का कोई मापन नहीं किया, उक्त निष्कर्ष में भी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। सर्वे नक्शा के अनुरूप किसी खेत या गाटा की मूल सरहदों (Original boundaries) को भूमि पर पुनः स्थापित (Relaying) करने के लिए उन बिन्दुओं की आवश्यकता पड़ती है, जहां से मापन कार्य प्रारम्भ किया जा सके। ऐसे बिन्दुओं को स्थिर बिन्दु (Fixed points) कहते हैं। त्रिभुज के सिद्धान्त के अंतर्गत दो स्थिर बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा को आधार मानकर तीसरा बिन्दु ज्ञात किया जाता है। मापन में दो अनिवार्य शर्तें होती हैं, (1) दिये गये बिन्दु से दूरी तथा (2) नापने की दिशा। यह जानने के लिए कि किन खेतों का आकार नक्शा से मिलान करता है तथा किस चौमेण्डा और छहमेण्डा की स्थिति में पूर्ववत्

है। मौजा की सरहद पार मौजूद सिहद्दा, दोहद्दा अथवा तूदह को Fixed point मान लेना चाहिए और तब वहीं से नापकर चौमेण्डा, या सेहमेण्डा की स्थित की जांच कर लेना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि नाप में सतर्कता हेतु भूमि पर विद्यमान प्राकृतिक दशा के विवरण, जिनको नक्शा में दर्शाया नहीं जा सकता, परन्तु जिनका प्रभाव परिणाम पर पड़ता है, को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर्वे कमीशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि विवादित भूमि की चौहद्दी का निर्धारण कर फिक्स प्वाइन्ट से उसका नियमानुसार सही मापन किया जाए, जिससे विवादित गाटा की यथास्थिति निर्धारित की जा सके। सर्वे आयुक्त द्वारा अपनी आख्या में जो सड़क की चौड़ाई 2 लाठा की जगह 11 लाठा दर्शित की गयी है, वह भी त्रुटिपूर्ण है, जबकि सड़क व गाटा सं0 405 नक्शा बंदोबस्त के अनुसार आपस में सटे हुए हैं और सड़क मात्र 2 लाठा ही चौड़ी है। इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य व परिस्थितियां यह दर्शित करती हैं कि कमिश्नर से मापन का कार्य नियमानुसार न करके उपेक्षात्मक ढंग से किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मात्र कुछ लिपिकीय त्रुटि के आधार पर विद्वान सिविल जज ने सर्वे आयुक्त आख्या व नक्शे को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। अतः सर्वे आयुक्त आख्या व नक्शे का नक्शा बंदोबस्त से तुलनात्मक अवलोकन के आधार पर विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), सुलतानपुर ने प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों के दृष्टिगत सर्वे आयुक्त आख्या मय नक्शे व अतिरिक्त सर्वे आयुक्त आख्या को निरस्त करने के संदर्भ में जो निष्कर्ष अवधारित किया है, वह विधिसम्मत् है।

7. उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विद्वान सिविल जज (प्रवर खण्ड), सुलतानपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक या क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त की जाती है।
2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 11.01.2021 पुष्ट किया जाता है।
3. पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दि0 13.04.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

2.4.21

(संतोष राय)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर

दिनांक : 02–04–2021 ई0

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष राय)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर

दिनांक : 02–04–2021 ई0

सत्य-प्रतिलिपि

प्रभारी प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि विभाग
जिला न्यायालय सुलतानपुर

**न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0 15,सुलतानपुर**

उपस्थित :–संदीप कुमार, (उ0प्र0न्यायिक सेवा)

**JO CODE- UP- 2119**

**मूल वाद सं0– 768/1987**

**CNR NO- UPST050000031987**

रामजस आयु लगभग 62 साल सुत राम खेलावन निवासी ग्राम प्रतापपुर कमैचा, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर––––––वादी। (मृतक दौरान मुकदमा)

1/1– महन्थराम आयु लगभग 45 साल ।

1/2– काशीराम आयु लगभग 40 साल । सुतगण रामजस

1/3– हरीश्चन्द्र आयु लगभग 35 साल । (मृतक दौरान मुकदमा)

1/4– श्रीमती केवला देवी आयु लगभग 65 साल वेवा रामजस

साकिनान मौजा प्रतापपुर कमैचा, परगना चांदा,तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर।

**बनाम**

1– कल्पूराम आयु लगभग 45 साल ।

2– सालिकराम आयु लगभग 40 साल । सुतगण रामदीन

3– मालिकराम आयु लगभग 35 साल । (मृतक दौरान मुकदमा)

निवासीगण साकिन देवाढ़, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर ।

3/1– आशीष आयु लगभग 20 साल सुत मालिक राम

3/2– कुसुम आयु लगभग 42 साल पत्नी मालिक राम

3/3– सोनी आयु लगभग 22 साल ।

3/4– मोनी आयु लगभग 18 साल । पुत्रीगण स्व0 मालिकराम

3/5– रानी आयु लगभग 15 साल । नाबालिक द्वारा संरक्षिका कुसुम माता स्वंय

निवासीगण शरायनपुर, निकट पानी की टंकी जनपद कानपुर।

4– राम अवध आयु लगभग 50 साल सुत मोतीलाल (मृतक दौरान मुकदमा)

साकिन प्रतापपुर कमैचा परगना चांदा तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर।

4/1– निर्मलादेवी पत्नी रामअवध उम्र लगभग 50 वर्ष,

4/2– मनोज कुमार पुत्र रामअवध उम्र लगभग 25 वर्ष,

निवासीगण प्रतापपुर कमैचा, परगना चांदा, तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर,

4/3-- गायत्री देवी पत्नी रामचरन आयु लगभग व्यस्क ,

4/4– राजीव कुमार पुत्र रामचरन उम्र लगभग 25 साल

4/5– सुनील कुमार पुत्र रामचरन उम्र लगभग 23 साल, निवासीगण शाहगंज चौराहा,मो0 शाहगंज, जिला सुलतानपुर।

5– श्यामदुलारी आयु लगभग 54 साल पत्नी स्वर्गीय हरीश्चन्द्र

6– अशोक कुमार आयु लगभग 37 साल

7– अतुल कुमार आयु लगभग 32 साल

8– अमित कुमार आयु लगभग 29 साल सुतगण स्व0 हरीश्चन्द्र

निवासीगण प्रतापपुर कमैचा, परगना चांदा, तहसील लम्भुआ, जिला सुलतानपुर।

## निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश,आज्ञापक व्यादेश व क्षतिपूर्ति के अनुतोष हेतु संस्थित किया है।

संक्षेप में वादपत्र के कथन इस प्रकार हैं कि वादपत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जिसमें आराजी निजाई को बरंग–सुर्ख दिखाया गया है जो कि वादपत्र का अभिन्न अंग है। वादीगण मौजा प्रतापपुर कमैचा परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर के कदीमी वासिन्दा है। आराजी निजाई वादी का पुस्तैनी हाता है जिसमें वादी के मूरिसान के नसबकर्दा दरख्तान अज किस्म नीम, पीपल, महुआ, जामुन व बॉसकोठ आदि पूर्वजों के जमाने से स्थिति रहे जिनके फलफूल लकड़ी का उपयोग व उपभोग वादी के मूरिसान तहयात अपनी जिन्दगी करते चले आये। वाद उसके वादी उपरोक्त दरख्तान के फलफूल लकड़ी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसे

प्रतिवादीगण दौरान मुकदमा काटकर उठा ले गये और उसके स्थान पर नवनिर्माण कर लिये हैं दरख्तानों के कट जाने से वादीगण को करीब 25 हजार रूपये का नुकसान हुआ है जिसमें से 5 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा है। शेष धनराशि मु0 20 हजार रूपया के सम्बन्ध में वादीगण अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आराजी निजाई से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आराजी निजाई में वादी की हाता की दीवालें जानिब पश्चिम पूरब उत्तर जमाना कदीम से स्थित रहीं है जो कि जमींदारी टूटने के पूर्व की हैं। उक्त दीवालें पहले मिट्टी की थीं बाद में उसे वादी ने ईट से बनवाया जो इस वक्त भी मौजूद हैं। आराजी निजाई में वादी के जानवर बांधे जाते रहे था उसी में निकास पैठार होता रहा था । उसी में जानवर बांधने के लिये खूंटे गड़े थे जिनमें जनवरान हमेशा बांधे जाते रहे हैं उसी में हौदियां भी जमाना कदीम से स्थित थी और उसी में उनके जानवरान चारा खाते रहे हैं । उपरोक्त समस्त कार्य जमींदारी विनाश के पूर्व से वादी मुजीब शान्तिपूर्ण ढ़ग से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा था । हाता निजाई की उत्तरी दीवाल में वादी मुजीव ने दो गेट भी कायम किया है जो कि जानिब उत्तर स्थित गली में खुलता है अलावा इसके हाता निजाई में जानिब उत्तर पूरब वादी के घूर इत्यादि स्थित है और इसी जमीन में जो कि वादी की पुश्तैनी आवादी रही है वादी के मूरिसान के वक्त से खेती गृहस्थी सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित होते रहे हैं । इसी में वादी का जुआठ,हेंगा हल फावड़ा, कुदाल, खुरपी इत्यादि समस्त चीजें रखी जाती रही है। इस तरह आराजी निजाई वादी के फारमोर बेनीफीशियल इन्ज्वायमेंट हेतु रही है और धारा–7अ अ, जमींदारी विनाश एक्ट के तहत सेटिल्ड हो चुकी है। चूँकि हरिश्चन्द्र वादी संख्या 3/1 के कायम मुकामान उक्त वाद में बतौर वादी भाग नहीं ले रहे हैं ऐसी स्थित में उन्हे बतौर प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बना करके उनके पक्ष में याचना मांगी जा रही है। प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार से कोई वास्ता व सरोकार आराजी निजाई से न तो रहा है और न है लेकिन प्रतिवादीगण जबरदस्ती बिना किसी हक व अधिकार से पैसे व

लाठी की ताकत के बल पर वादभूमि पर कब्जा करके वादी को बेदखल कर देना चाहते है, जिसका उन्हे अधिकार नही है। चूँकि जमाना कदीम से वादी हाता निजाई व उसमें स्थित समस्त सभी चीजों पर शान्तिपूर्ण ढंग से काबिज व दखील चला आ रहा था इस तरह से आराजी निजाई वादी के साथ धारा–9 जमींदारी विनाश एक्ट के तहत सेटिल्ड हो चुकी है और वही उसका मालिक व काबिज रहा है जिससे प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार न तो कभी था और न है। दिनांक 09.10.1987 से प्रतिवादीगण बराबर इस आशय की धमकी दे रहे है कि वे निश्चित रूप से आराजी निजाई में स्थित दरख्तानों को काटकर तसरूफ कर लेंवेंगे। हाता की दीवाल को गिरा कर समथर कर लेवेंगे और उस पर निर्माण कर लेवेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त नाजायज बेवजह हरकतों में कामयाब हो गये तो उस सूरत में वादी की सख्त हकतलफी होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से सम्भव नहीं होगी। सालिकराम व राम अवध जो कि प्रतिवादीगण से मिले हुये हैं उन्होंने भी प्रतिवादीगण से साजिश करके कुछ नव निर्माण अर्सा चार महीने पहले कर लिया है, वादी उस पर दखल पाने हेतु इन्हदाम वांछित याचना मांग रहा है। प्रतिवादीगण न्यायालय के बाहर समझौता करने को तैयार नहीं है इस कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। वाद का मूल कारण देने धमकी काट लेने दरख्तान गिरा देने दीवाल निजाई व कर लेने कब्जा व कर लेने नवनिर्माण व कर देने बेदखल वादी अन्तर्गत क्षेत्राधिकार न्यायालय पैदा हुआ है।

अन्त में वादी ने न्यायालय से यह याचना किया है कि डिग्री हुकुम इम्तिनाई दवामी वहक वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 खिलाफ प्रतिवादीगण इस अम्र की सादिर फरमाई जाये की प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया जाये कि वे हाता निजाई की दीवाल को न गिरावे उसमें स्थित दरख्तान को न काटें, उस पर वादी को बेदखल न करें, आराजी निजाई पर कब्जा न करें, उस पर कोई नवनिर्माण न करें और न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में किसी प्रकार की बाधा पैदा हो तथा डिग्री मेन्डेटरी इन्जक्शन वहक

वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे की प्रतिवादीगण के जो भी निर्माण नये व पुराने विवादित सम्पत्ति में स्थित हैं वह गिराकर जमीन पाक व साफ करके कब्जा व दखल न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में वादीगण को दे देवें और यदि प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त समयावधि के अन्तर्गत माननीय न्यायलय के निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो वादी को यह अधिकार दिया जावे कि वह जुमला कार्य जरिये अदालत करवा कर उसका खर्चा भी प्रतिवादीगण से वसूल लेवे तथा प्रतिवादीगण से मु0 5000/–रूपये की क्षतिपूर्ति वादीगण को मय ब्याज दिलाया जाय और यदि प्रतिवादीगण उपरोक्त धनराशि जो माननीय न्यायालय प्रदान की जाती है को न दें तो उस दशा में वादी को यह अधिकार दिया जाये कि वह जरिये इजराय अदालत प्रतिवादीगण से वसूल कर उसका खर्चा भी प्रतिवादीगण से प्राप्त करें।

वाद पत्र में किये गये कथनों के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से 51क1 प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें वाद पत्र के अधिकांश कथनों को इन्कार किया गया है तथा कथन किया गया है कि नक्शा नजरी बिल्कुल गलत है, खिलाफ मौका है। वादी प्रतापपुर कमैचा का कदीमी बासिन्दा नहीं है वह मौजा नेवाजगढ़, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुलतापुर का बासिन्दा है। अभी हाल में ही उसने कुछ भूमि लेकर एक छोटा सा मकान बनाकर रहना शुरू किया है। विशेष कथन में प्रतिवादीगण ने यह अभिकथित किया है कि वादी राम जस सुत राम खेलावन प्रतापपुर, कमैचा का कदीमी बासिन्दा नहीं है बल्कि उसका वास्तविक मकान मौजा नेवाजगढ़, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर है वहां अब भी उनकी खेती बारी व मकानियत है। अभी हाल में ही यह चांदा बाजार में आबाद हुये। वादी का यह कथन गलत है कि वादी या उसके मूरिसान मौजा प्रतापपुर कमैचा में जमींदारी उन्मूलन के पहले से आबाद हैं। वादी से आराजी निजाई से कोई वास्ता सरोकार न कभी था और न है, न उसमें स्थित दरख्तान से कोई मतलब वादी का कभी रहा है और न है न आराजी निजाई उसके कब्जे में रही है और न

है। आराजी निजाई के आला मालिक अंगनू कलवार सुत रामधन कलवार साकिन प्रतापपुर कमैचा थे, यह आराजी उनके मूरिसान के नाम बन्दोबस्त अव्वल, दोयम, सोयम में दर्ज भी है और इसके अलावा अन्य किसी सख्श से आराजी निजाई से कोई मतलब नहीं था। अंगनू सुत रामधन ने खूब सोच समझ कर बिना किसी अनुचित दबाव के स्वस्थ चित्त और अपनी राजी खुशी से अपनी सभी सम्पत्ति का बैनामा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हक में उचित मूल्य लेकर दिनांक 25.03.1974 को लिख दिया और उक्त तिथि से प्रतिवादीगण बिना किसी रोक–टोक के समस्त आराजी निजाई पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आराजी निजाई में पानी पीने के लिए बैनामें के बाद ही एक हैण्डपाइप लगवाया और उसी से बराबर पानी पीते चले आ रहे हैं। अंगनू सुत रामधन का मकान काफी जर्जर हो गया था, पिछली बरसात में गिर गया जिसके अवशेष खण्डहर के रूप में अब भी मौजूद हैं। प्रतिवादीगण 1 ता 3 आर्थिक कठिनाई के कारण पूरा निर्माण नहीं करा पाये। मकान के एक हिस्से में निर्माण करके रह रहे हैं। शेष आराजी निजाई जो अंगनू सुत रामधन से मिली थी उसको पोख्ता पक्के ईंट की छार दीवारी बनाकर चारो तरफ से घेर लिया है तथा उसमें एक बहुत पुराना पेड़ जो रामधन के जमाने का है, पीपल का स्थित है, जिसके चारो तरफ चबूतरा है और चबूतरें पर शंकर शिवलिंग है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बराबर वहीं पूजा, अर्चना करते चले आ रहे है। हाते के अन्दर ही अंगून के लगाये हुये दरख्तान 8 पेड़ नींम, 1 पेड़ गूलर, 1 पेड़ जामुन स्थित है। एक पेड बांस कोठ थी, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने काट लिया है जिसकी जड़ अब भी मौजूद है, उक्त सारे दरख्तान पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बैनामा की तिथि से बराबर काबिज व दखील है। अंगनू सुत रामधन का बहुत बड़ा मकान था, जिसका सेहन दरवाजा पश्चिम का था और मकान के दक्षिण तरफ भी कुछ जमीन थी, उक्त जमीन के बाद सुलतानपुर–जौनपुर रोड था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना मकान मय सेहन व दीगर जमीन को उचित मूल्य लेकर रामनाथ सिंह साकिन गुलालपुर, निर्मला देवी व मनोज कुमार, योगेन्द्र प्रसाद व श्रीमती गीता देवी, साकिन प्रतापपुर कमैचा को

क्रमशः 16.10.87 व 15.10.87 को बैनामा कर दिया है और बैनामें की तिथि से उक्त बैनामेंदार अपने बैनामा अनुसार समस्त आराजी पर काबिज व दखील है। बाद भूमि में ही प्रतिवादीगण का मकान बना हुआ है, उसके दरख्तान स्थित है, उसी में हैण्डपाइप है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण 1 ता 3 उठते बैठते हैं, गृहस्थी का सामान रखते हैं, प्रतिवादी के बैनामा कर देने से उपरोक्त सारे उपभोग बैनामेंदार कर रहे हैं, वादी से आराजी निजाई से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आराजी निजाई के दक्षिण एक जुज भाग का बैनामा वादी ने उपरोक्त अगंनू सुत रामधन से लिया था और अपने बैनामें में लिखी लम्बाई चौडाई से ज्यादा भूमि पर निर्माण कर लिया था उक्त बढ़ी हुयी भूमि में जो निर्माण हुआ है उक्त निर्माण के गिराने का दावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 करना चाहते थे उसी की पेशबन्दी में वादी ने प्रस्तुत दावा दायर किया है। वाद भूमि पर वादी का कब्जा नहीं हैं। अतः दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी मेन्टेनेबुल नहीं है। वाद का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादी नं0 4 को अनावश्क रूप से वाद में पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में मुकदमें में अनावश्यक रूप से पक्ष बनाने का दोष है। मुकदमें में आवश्यक लोगों को फरीक नहीं बनाया गया है ऐसी सूरत में वाद में आवश्यक लोगों को पक्षकार न बनाये जाने का दोष है। वादी को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। दावा वादी मियाद बाहर है। वाद चलने योग्य नहीं है। उपरेाक्त आधारों पर प्रतिवादीगण ने विशेष हर्जे के साथ वाद खारिज करने की याचना किया है।

प्रतिवादी संख्या 4/1 व 4/2 की ओर से अतिरिक्त बयान तहरीर कागज संख्या 167क1/1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। वाद का मूल्यांकन एक लाख आठ हजार सात सौ पचास रूप से कम नहीं है। वादीगण आज्ञाप्क व्यादेश का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। जायदाद निजाई एवं उस पर स्थित निर्माण प्रतिवादीगण का है। वादीगण डिमालीशन की रिलीफ भी पाने के अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादीगण निर्माला देवी व मनोज कुमार की ओर से 193क1

अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा वादपत्र में जो संशोधन शामिल किया गया है वह एकदम गलत तौर पर शामिल किया गया है। बयान तहरीर के साथ दो नक्शा नजरी, भूतल व प्रथम तल का दाखिल किया जा रहा है जो बयान तहरीरी का अभिन्न अंग है। वादीगण ने विवादित जायदाद के सम्बन्ध में गलत तौर से क्षतिपूर्ति की मांग किया है वादी का जायदाद निजाई के किसी भी हिस्से से कोई मतलब नहीं है। वादी किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उभयपक्षों के अभिबचनों के आधार पर दिनांक–23.07.88 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये है–

1–क्या वादी वादपत्र के कथनानुसार वादभूमि का मालिक काबिज है?

2–क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3–क्या न्याय शुल्क कम अदा किया गया है?

4–क्या वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने तथा अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष?

5–क्या वाद काल बाधित है?

6–क्या वादी मजाज दावा नहीं है?

7–क्या वादी किसी अन्य याचना को पाने का अधिकारी नहीं है?

8–क्या वाद सन्धार्य नहीं है?

पुनः दिनांक 19.10.2016 को पक्षकारों के अतिरिक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त वादविन्दु विरचित किये गये :–

9– क्या वादी वादपत्र में वर्णित आधार पर प्रतिवादीगण से मु0 5000/–रूपया क्षतिपूर्ति मय ब्याज पाने का अधिकारी है ?

10– क्या संशोधन के पश्चात वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

11– क्या वादी दावा दायर करने के अधिकारी नहीं हैं ?

न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2021 को निम्नलिखित अतिरिक्त वादविन्दु विरचित किये गये :–

12– क्या वादपत्र के कथनानुसार वादी विवादित भूमि में स्थित निर्माण को गिरवाकर जमीन पाक साफ करवाकर उसका कब्जा दखल पाने का अधिकारी है ?

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी0डब्लू0–1 काशीराम की मुख्य परीक्षा शपथपत्र कागज सं0–200क2, ,साक्षी पी0डब्लू0–3 अम्बिका प्रसाद की मुख्य परीक्षा शपथपत्र कागज सं0–203क2 प्रस्तुत कर शपथ पर परीक्षित कराया गया है । वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में पी0डब्लू0–2 रमाशंकर की मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–202क2 प्रस्तुत किया गया है किन्तु वादी ने उपरोक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा हेतु पेश नहीं किया है इसलिए साक्षी पी0डब्लू0–2 का साक्ष्य पठनीय नहीं होगा । सूची 216ग1 से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र 217ग1 व सूची 221ग1 से नकल दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 222ग1 तथा सूची 232ग1 से नकल दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 233ग1, नकल दस्तावेज बैनामा नबिस्ते कल्पूराम कागज संख्या 233ग1/8 ता 233ग1/29 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी!0डब्लू0–1 मनोज कुमार का मुख्य परीक्षा शपथ पत्र कागज संख्या 205क2, डी0डब्लू0–2 मो0 मालिक का मुख्य परीक्षा शपथ पत्र कागज संख्या 219क2 प्रस्तुत कर शपथ पर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रतिवादी की ओर से सूची 25ग1 से परिवार रजिस्टर के नकल की प्रति 26ग1, दस्तावेज बैनामा की प्रति 27ग1 व सूची 41ग1 से असल दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 42ग1, नकल दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 43ग1 व सूची 96ग1 से छायाप्रति दस्तावेज बैनामा 97ग1, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 98ग1, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 99ग1, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 100ग1, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज संख्या 101ग1 व सूची 106ग1 से असल दस्तावेज बैनामा कल्पूराम कागज संख्या 107ग1, दस्तावेज बैनाम

सालिकराम वहक श्रीमती निर्मला देवी कागज संख्या 108ग1, नकल दस्तावेज बैनामा मासूक अली वहक बसन्त कुमार कागज संख्या 109ग1, नकल दस्तावेज बैनामा अनारकली वहक सुधाकर पाण्डेय कागज संख्या 110ग1, नकल दस्तावेज बैनामा अवधेश कुमार वहक बजरंग बहादुर सिंह कागज संख्या 111ग1 व सूची 118ग1 से नकल छायाप्रति बैनामा कागज संख्या 119ग1, छायाप्रति नकल बैनामा कागज संख्या 120ग1 व सूची 229ग1/1 से नकल उद्धरण खतौनी कागज संख्या 229ग1/2 व सूची 230ग1 से नकल रिपोर्ट सवाल नं0 31765 कागज संख्या 230ग1/2 दाखिल किया गया है।

उभयपक्ष के अभिवचनों व विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व प्रदत्त विधि व्यवस्था के अवलोकनोपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत् है ।

**<u>निस्तारण वादविन्दु सं0–1 :–</u>**

वादविन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वादी वादपत्र के कथनानुसार वादभूमि का मालिक काबिज है ?'' उपरोक्त वादविन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे गये हैं जिन्हें सिद्ध करने का भार वादी पर ही है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101,102 तथा 103 के अन्तर्गत वादी पर अपने वाद को स्थापित करने हेतु सबूत का भार होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राघवअम्मा बनाम चेनचम्मा {ए0आई0आर0 1964 एस0सी0 136}** के मामले मे अभिमत व्यक्त किया है कि ''वाद को प्रथमदृष्टया साबित करने का प्रारम्भिक भार वादी पर ही होता है और जब वह अपने केस के समर्थन मे साक्ष्य देता है तब ओनस प्रतिवादी पर खण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तरित हो जाता है । '' उर्पयुक्त विधिक अभिमत पूर्णतया मान्य है । अतः वादीगण को अपने वाद को प्रारम्भिक तौर पर साबित करने का भार है । इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एम0एम0बी0कैथोलिक्स बनाम टी0डी0पालोऐविरा,** {ए0आई0आर0 1959 एस0सी031}, के मामले मे

अभिमत व्यक्त किया है कि धारा –101 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साबित करने का भार का नियम, असुसंगत हो जाता है, जहॉ पक्षकार द्व ारा अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा उसे विचार कर लिया जाता है । जब न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य हुआ है तब साबित करने का भार असुसंगत हो जाता है और न्यायालय को सभी सामग्रियों पर विचार करके निर्णय देना होता है । धारा–101 केवल स्वामित्व के बारे में साबित करने के आधार को वर्णित करता है ।''

उर्पयुक्त विधिक भत पूर्णतया मान्य है । अतः साक्ष्य अधिनियम तथा उर्पयुक्त विधिक व्यवस्था के आलोक में वादी को अपने वादपत्र के अभिकथनों को प्रारम्भिक तौर पर साबित करना होगा ।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है :–

1– आनन्द स्वरूप बनाम रामसेवक व अन्य, एल0सी0डी0 1989 पेज 19 से 23,

2–हरमनदिल पाठक व अन्य बनाम संकठा सिंह व अन्य, 1966 ए 0एल0जे0 पेज 904 से 907,

3–रमेश चन्द्र वर्मा व अन्य बनाम प्रभारी जनपद न्यायाधीश बाराबंकी व अन्य 2008 (26) एल0सी0डी0 पेज 794 से 800,

4– लक्ष्मण प्रसाद (मृतक )/महाबीर प्रसाद व अन्य बनाम रामकुमार सिंह 1993 एल0सी0डी0 पेज 728 से 737

प्रतिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया है :–

1– अहमद साहेब (मृतक ) द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य बनाम सैय्यद इस्माइल (2012) 8, एस0सी0सी0 516,

2– रामराज व अन्य बनाम डी0डी0सी0 व अन्य 2015 (112 )ए0 एल0 आर0 361,

3–भगवती राम व अन्य बनाम सुरेन्द्र नाथ व अन्य ए0सी0जे0 1980 इलाहाबाद ।

वादी का अभिवचन है कि वादी ग्राम प्रतापपुर कमैचा,परगना

चांदा,तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर का कदीमी (पुराना) वासिन्दा पूर्वजों के समय से है । आराजी निजाई वादी का पुश्तैनी हाता है जिसमें वादी के पूर्वजों के लगाये हुए दरख्तान अज किस्म नीम,पीपल,महुआ,जामुन, बांस कोठ आदि स्थित है। वादभूमि में लगाये गये दरख्तान में जो पेड़ उसके पूर्वजों के समय में सूख गये थे उसे वे काट लिये तथा उनके पश्चात जो पेड़ सूखे उसे वादी ने काट लिया । आराजी निजाई में वादी के हाता की दीवालें पश्चिम पूरब व उत्तर पूर्वजों के समय से स्थित रही है जो कि जमीदारी टूटने के पूर्व की है। उक्त दीवाले पहले मिट्टी की थी जिसे बाद में वादी ने ईट की बनवाया जो इस वक्त मौजूद है। विवादित भूमि में वादी के जानवर बाधें जाते हैं । उसी में उसका उठना बैठना हैं। वाद भूमि में वादी का खेती गृहस्थी सम्बन्धी का कार्य भी सम्पादित होता है । इसी में वादी का जुवाठ, हेंगा, खुरपी आदि समान रखे जाते है । विवादित सम्पत्ति वादी के साथ अर्न्तगत धारा 7अ–अ व धारा 9 उ0प्र0 जमीदारी एवं भुमि सुधार अधिनियम वादी के साथ निहित हो गयी हैं।

वादी ने विवादित भूमि पर उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के पूर्व से पूर्वजों के समय से कब्जा दखल होने के सम्बन्ध में कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू01 काशीराम को शपथ पर न्यायालय में परीक्षित कराया है। साक्षी पी0डब्लू01 ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथपत्र में वादपत्र के कथनों का समर्थन किया है किन्तु जिरह के पेज –5 पर यह साक्ष्य दिया है कि "झगड़े वाली जमीन को प्रतिवादी रामअवध ने सालिकराम, कल्पूराम व मालिकराम से खरीदा,1987 में खरीदा। कल्पूराम व सालिकराम ने इस जमींन को अंगनू से खरीदा था। अंगनू प्रतापपुर कमैचा के रहने वाली थे इनकी मकानियत यहीं पर थी। यहीं पर रहते थे। फिर रामअवध आ गये । " जिरह के पृष्ठ –6 पर साक्षी ने यह कथन किया है कि " जिस मकान का झगड़ा है वह प्रतापपुर कमैचा में है । मकान का कोई झगड़ा नहीं है अहाते का झगड़ा है । विवादित सम्पत्ति पर जो मकानियत है वह प्रतिवादी द्वारा बनवायी गयी है । विवादित सम्पत्ति के उत्तर गली है ।

गली के उत्तर हाता है । इस अहाते को टिम्मल से मेरे पिता जी ने खरीदा था । जिरह में साक्षी ने आगे कहा है कि झगड़े वाली जमीन की चौड़ाई दक्षिण तरफ 26 फिट है,उत्तर तरफ 80 फिट है, पूरब तरफ 100 फिट है पश्चिम तरफ 40 फिट है । यह जायदाद पहले खाली थी । यह जायदाद मुझे कहॉ से मिली मुझे नहीं पता है । किस सन् में मिली मुझे जानकारी नहीं है । किससे मिली जानकारी नहीं है । विवादित जायदाद में कोई पेड़ मेरे सामने नहीं लगाया गया है । कुल मिलाकर 7 पेड़ नीम, एक पेड़ महुआ,एक पेड़ जामुन,दो पीपल के पेड़ दो कोठ बांस है । यह पेड़ जब कटे तब मैने पुलिस अधीक्षक व वन विभाग को प्रार्थनापत्र दिया था । यह पेड़ किस सन् को कटे नहीं पता । पेड़ों व बांस कोठ की मालियत कितनी है जानकारी नहीं है । विवाद के पहले जो पेड़ सूखे थे पिता जी ने कटवा लिया था । दीवालें पहले कच्ची थी । वाद में पिता जी ने 3 फिट ऊंची बनवायी थी जो ईंट की कच्चे गारे से बनवायी थी । जब से मै जानता हूँ, इसी तरह से कायम चली आयी । इसमें मैने कोई दीवाल नहीं बनवायी । मेरा मकान विवादित सम्पत्ति के दक्षिण सटा हुआ है । यह मकान छोटे भाई व बड़े भाई के हिस्से में था । उन्होनें बेच दिया । मेरे छोटे भाई महन्थराम व हरिश्चन्द्र ने बेंच दिया । सुनीता सोनी व भयालाल को बेंचा था जिसकों बेचा उसको कब्जा व दखल दे दिया । बेंचा मकान 12 हाथ चौड़ा 15 हाथ लम्बा है । 12 हाथ चौड़ा व 15 हाथ लम्बा वाली जमीन पर बना बनाया मकान बेंच दिया था । जो मकान बेंचा उसका दो मोहार उत्तर था फिर कहा दो दरवाजा दक्षिण भी था । मेरे भाइयों ने अपना मुक्म्मल हिस्सा बेंच दिया था । मेरे भाइयों का हिस्सा विवादित सम्पत्ति में नहीं है । जो बंटवारे में मुझे मिला । जिरह के पेज –8 पर साक्षी पी0डब्लू0–1 ने कथन किया है कि झगड़े वाली जायदाद से मै 2006 से वंचित हॅ। मेरे पास अब भी जानवर हैं यह जानवर हम दूसरी जमीन में बांधते है । यह जमीन झगड़े वाली जमीन से 300 मीटर दूर है । वहीं हौदा वगैरह गड़ा है । वहीं खूंटा गाड़ कर बांधते हैं । वहॉ पर मेरी सरिया भी बनी है । जिस जायदाद पर जानवर बांधे जातें है मेरी सरिया है जो 300 मीटर की दूरी पर है । जो झगड़े

वाली जमीन के पूरब दक्षिण के कोने पर मस्जिद के पीछे स्थित है । यह मेरी पाही है जो बराबर मेरे इस्तेमाल में चली आ रहीं है । पाही पर फावड़ा, कुदाल वगैरह रखे जाते हैं । जुआठ व हल का जमाना नहीं है । मेरा ट्रैक्टर है जिसे वहीं पर खड़ा करते हैं । फिर आगे कहा कि अगंनू का मकान मैने देखा था अंगनू के मकान के दक्षिण रामजस व उमाशंकर का मकान है । अंगनू के मकान को अगंनू ने बेच दिया जिसे सालिकराम,मालिकराम व कल्पू के नाम बेंच दिया था । यही कल्पू जो प्रतिवादी है । यह करीब 40 साल पहले का बैनामा है जिनको बेंचा उनका कब्जा दखल हो गया । मेरे पिता रामयश मौजा नेवाजगढ़ के रहने वाले नहीं थे । प्रतापपुर कमैचा के रहने वाले थे । नेवाजगढ़ मौजा प्रतापपुर कमैचा से 5 किमी0 दूरी पर है । मेरा और मेरे पिता की बाग व खेत नेवाजगढ़ छतौना में है । पठानीपुर में भी है । नेवाजगढ़ छतौना में पाही नहीं है ।

वादी द्वारा अपने को मौजा प्रतापपुर कमैचा, परगना चांदा, तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर का कदीमी वासिन्दा होना कहा गया है और आराजी निजाई को अपना पुश्तैनी हाता होना कहा है । वादी द्वारा वादभूमि को अपनी पुश्तैनी आबादी होने एंव पूर्वजों के जमाने से खेती गृहस्थी आदि सम्बन्धी कार्यो में जमींदारी उन्मूलन पूर्व से लाये जाने के आधार पर धारा –7अ अ उ0प्र0जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत सेल्टिड होने की बात एंव पूर्वजों के जमाने से वादभूमि व उसमें स्थित समस्त चीजों पर शान्तिपूर्ण ढ़ग से काबिज दखील होने के आधार पर जमींदारी उन्मूलन के पश्चात धारा–9 जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रावधान के तहत वादभूमि का स्वत्व स्वंय में निहित होना कहा गया है।

वादी द्वारा स्वंय को मौजा प्रतापपुर कमैचा का कदीमी वासिन्दा होना कहा गया है । कदीमी वासिन्दा होने का कोई प्रलेखीय साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । वादी की ओर से मौजा प्रतापपुर कमैचा का निवासी होने का जो साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है वह कागज सं0– 43ग1/1 अंगनू कलवार द्वारा रामजस बन्दवार सुत रामखेलावन के पक्ष में लिखा गया पंजीकृत विक्रय विलेख है जिसमें दिनांक 31.03.1955 को

रामजस द्वारा अंगनू कलवार से 100/–रूपये में 10 हाथ चौड़ा व 12 हाथ लम्बा जमीन क्रय किया था जिसकी चौहद्दी पूरब मड़हा मेरा, यानि विक्रेता अंगनू कलवार, पश्चिम मकान चक्की वाला मुसाहिद,उत्तर मकान मेरा यानि विक्रेता अंगनू कलवार, दक्षिण सड़क है । अंगनू कलवार द्व ारा वादी रामजश को वर्ष 1955 में 10 हाथ चौड़ा व 12 हाथ लम्बा जिस जमीन का विक्रय किया गया था उसके पूरब व उत्तर विक्रेता अंगनू कलवार का मकान विक्रय के पश्चात स्थित था । वर्ष 1955 के पूर्व वादभूमि व उसकी चौहद्दी में वादी रामजस का कोई अस्तित्व वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है । वादपत्र में वादी द्वारा वादभूमि पर अपने स्वत्व व कब्जा दखल का आधार यह लिया गया है कि चूंकि वादी जमींदारी उन्मूलन से पूर्व वादभूमि पर शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में था एंव उसका उपयोग उपभोग गृहस्थी व अन्य कृषि कार्यो हेतु बराबर करता चला आ रहा है ऐसे में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात धारा–7 अ अ व धारा–9 जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधानों के तहत वादभूमि का स्वत्व वादी में निहित हो गया । उ0प्र0 में जमींदारी का उन्मूलन जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के तहत हुआ है।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–7अअ**, ''यह प्रावधानित करती है कि यदि वह किसी भूमि का भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर वह जैसा उसका उपभोग कर रहा हो उसी प्रकार भूमि के और अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये किसी सुविधा या अन्य ऐसे ही अधिकार के उपभोग करते रहने का अधिकार।''

इसी प्रकार **उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–9** ''यह प्रवधानित करती है कि किसी आस्थान में स्थित सब कुएं, आबादी के पेड़ और सब इमारतें जो किसी मध्यवर्ती काश्तकार या दूसरे व्यक्ति की है या उसके द्वारा आधारित चाहे है, वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती, काश्तकार या दूसरे व्यक्ति के, जैसे भी दशा हो, बने रहेंगे या धारित

रहेंगे और सम्बन्ध क्षेत्र सहित उन कुंआं या इमारतों के स्थल के विषय में यह समझा जायेगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उनके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तो पर किया है, जो नियत किये जायें।'' जबकि वादी 1955 में वादभूमि के दक्षिण पश्चिम कोने में 10 हाथ चौड़ा व 12 हाथ लम्बा जमीन क्रय किया था ऐसे में वादी का वादभूमि पर पर शान्तिपूर्ण कब्जा दखल के आधार पर धारा–7 अअ व धारा–9 जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के तहत वादभूमि पर अपने स्वत्व का जो दावा किया गया है वह साबित नहीं पाया जाता है ।

प्रतिवादीगण द्वारा वादी का प्रतापपुर कमैचा का कदीमी वासिन्दा होने से इन्कार किया गया है और कथन किया गया है कि वादी रामजस सुत रामखेलावन मौजा नेवाजगढ़ परगना चांदा तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर के मूल वासिन्दा हैं जहॉ पर उनकी खेती बारी और मकानियत है । वादी हाल में ही चांदा बाजार में आबाद हुए है । आराजी निजाई के आला मालिक अंगनू कलवार सुत रामधन कलवार थे । यह आराजी उनके मूरिसान के नाम बन्दोबस्त अव्वल, दोयम, सोयम में दर्ज भी है और इसके अलावा अन्य किसी शख्स से आराजी निजाई से कोई मतलब नहीं था । अंगनू ने अपनी सम्पत्ति का बैनामा प्रतिवादी नं0–1 ता 3 के हक में उचित मूल्य लेकर दिनांक 25.03.1974 को लिख दिया । वाद बैनामा प्रतिवादीगण बिना किसी रोक टोक के समस्त आराजी निजाई पर काबिज दखील रहे हैं । अंगनू से जो सम्पत्ति क्रय किया गया था उसमें एक जर्जर मकान था जिसके एक भाग पर प्रतिवादी सं0–1 ता 3 निर्माण करके रह रहे हैं । शेष आराजी निजाई जो अंगनू से खरीदी गयी थी उसको पक्के ईट की दीवाल से चारों तरफ से घेर लिया है । अहाते के अन्दर अंगनू के लगाये गये 8 पेड़ नीम, एक पेड़ गूलर एक पेड़ जामुन स्थित है । बांस कोठ को प्रतिवादी द्वारा काट लिया गया है । अंगनू का मकान बहुत बड़ा था जिसका सेहन दरवाजा पश्चिम का था और मकान के दक्षिण तरफ भी कुछ जमीन थी । उक्त जमीन के वाद सुलतानपुर जौनपुर रोड था । आराजी निजाई के दक्षिण एक जुज भाग का बैनामा वादी ने अंगनू से लिया था और अपने

बैनामें में लिखी लम्बाई चौड़ाई से ज्यादा भूमि पर निर्माण कर लिया था। प्रतिवादी सं0–1 ता 3 आराजी निजाई के बैनामेंदार है। इसके सम्बन्ध में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में दिनांक 125.03.1974 का पंजीकृत मूल दस्तावेज बैनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त विक्रय विलेख अंगनू सुत रामधन कलवार निवासी ग्राम प्रतापपुर कमैचा पोस्ट महरानी पश्चिम, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला–सुलतानपुर द्वारा कलपूराम, सालिकराम, मालिकराम सुतगण रामदीन कलवार निवासीगण ग्राम देवाढ़, पोस्ट देवाढ़, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर के पक्ष में अन्य आराजियात के साथ निम्न वर्णित चौहद्दी पूरब तरफ बेनी माधव का मकान, व उत्तर तरफ रामजस का अहाता, व टीमल का मकान व पश्चिम तरफ गफ्फार का मकान व दक्षिण तरफ सड़क सुलतानपुर ता जौनपुर उक्त चौहद्दी का मकान व जमीन व कुल कोठी बांस पूरा बैनामा किया गया है । बैनामा में यह भी वर्णित है कि मकान कच्चा खपरैल मय अगवाड़ा व पिछवाड़ा तथा उसमें स्थित पेड़ों का विक्रय किया गया था । वादी साक्षी पी0डब्लू01 ने अपनी जिरह में वादभूमि को अंगनू की मकानियत होना स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि कल्पूराम व सालिकराम ने विवादित आराजियात को अंगनू से खरीदा था । वादी रामजस व प्रतिवादी सं0–1 ता 3 को अंगनू कलवार ने जो बैनामा वर्ष 1955 व 1974 में लिखा था उन दोनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1955 में अंगनू ने वादी रामजस के हक में अपने आबादी के दक्षिण पश्चिम कोने में 12 हाथ लम्बा व 10 हाथ चौड़ा आवादी का विक्रय किया था एंव शेष आवादी व मकानियत का विक्रय प्रतिवादी नं0–1 ता 3 कल्पूराम, सालिक राम व मालिकराम के हक में किया था । वादभूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है । इस तथ्य को वादी साक्षी पी0डब्लू01 ने अपनी जिरह के पृष्ठ–6 पर स्वीकार किया है । उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि विवादित सम्पत्ति पर जो मकानियत है वह प्रतिवादी द्वारा बनायी गयी है ।

वादी अपने वादपत्र में यह भी कथन किया है कि वादभूमि पर उसके जानवर बांधे जाते हैं खेती गृहस्थी आदि के सामान रखे जाते हैं

लेकिन अपने जिरह के पृष्ठ –8 पर वादी साक्षी पी0डब्लू0–1 जो कि वादी रामजस का पुत्र है ने कथन किया है कि उसके जानवर झगड़े वाली जमीन से 300 मीटर दूरी पर स्थित जमीन पर बांधे जाते हैं। साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि विवादित जमीन के उत्तर गली है गली के उत्तर हाता है । इस अहाते को टिम्मल से मेरे पिताजी ने खरीदा था । अंगनू द्वारा सालिकराम आदि के पक्ष में आवादी मकानियत का जो बैनामा लिखा था उसकी चौहद्दी में उत्तर तरफ टिम्मल का मकान व रामजस का अहाता होना वर्णित है। साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि उसकी सरिया झगड़े वाली जमीन से पूरब दक्षिण कोने पर 300 मीटर दूरी पर स्थित है जो उसकी पाही है वहीं पर उसका फावड़ा कुदाल आदि रखा जाता है और ट्रैक्टर खड़ा किया जाता है जबकि वादपत्र में कथन किया गया है कि वादभूमि में उसके फावड़े, कुदाल आदि रखे जाते है।

वादी की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–3 अम्बिका प्रसाद द्वारा अपनी जिरह में विवादित सम्पत्ति पर वादी के कब्जा दखल को साबित नहीं किया गया है बल्कि वादभूमि पर रामअवध का पक्का मकान होना बताया है । गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि विवादित सम्पत्ति के पश्चिम अहाते में रामजस के जानवर बांधे जाते थे जबकि वादी साक्षी पी0डब्लू0–1 जो कि वादी रामजस का पुत्र है ने अपनी जिरह में झगड़े वाली जायदाद के उत्तर अपना घूर लगाने की बात कही है । अपनी जिरह में कहीं भी वादभूमि में जानवर बांधे जाने का कोई कथन नहीं किया है । उसके जानवर वादभूमि से 300मी0 दूर स्थित जमीन पर बांधे जाने का कथन उसने किया है । ऐसे में वादी की तरफ से स्वतन्त्र गवाह अम्बिका प्रसाद द्वारा वादभूमि पर वादी के कब्जा दखल को साबित नहीं किया गया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय के मत में वादी विवादित भूमि पर अपने स्वत्व व अध्यासन को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । जिस जमीन पर वादी द्वारा अपने स्वत्व का दावा किया गया है वह पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार प्रतिवादी नं0–1 ता 3 का

अंगनू से लिया गया बैनामा की जमीन होना पाया जाता है । वर्ष 1955 में जब अंगनू द्वारा वादी के पक्ष में वादभूमि के दक्षिण पश्चिम कोने में बैनामा लिया गया था उक्त समय बैनामा के पश्चात उसके पूरब और उत्तर अंगनू की मकानियत व जमीन शेष बची थी जो अंगनू के कब्जे में रही थी जिसका विक्रय अंगनू द्वारा 1974 में प्रतिवादी सं0–1 ता 3 के पक्ष में किया गया था । ऐसे में यह स्पष्ट है कि वादभूमि वादी रामजस की बैनामा की भूमि नहीं रही है । वादी द्वारा वादभूमि पर पूर्वजों के जमाने से जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से अपने शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग के आधार पर जमींदारी उन्मूलन के पश्चात धारा– 7अ अ व धारा 9 जमींदारी विनाश अधिनियम,1950 के तहत वादभूमि पर अपना स्वत्व निहित होने का जो कथन किया गया है वह इस आधार पर अग्राह्य है कि वादी रामजस द्वारा वादभूमि के दक्षिण पश्चिम कोने में वर्ष 1955 में बैनामा लिया गया था । जमींदारी उन्मूलन के पश्चात वादभूमि का स्वत्व व कब्जा दखल अंगनू में निहित रहा है जिसका अंगनू ने वर्ष 1955 व 1974 के बैनामा द्वारा वादी व प्रतिवादी सं0–1 ता 3 के पक्ष में अन्तरण किया । ऐसे में वादी वादभूमि पर न तो अपना कब्जा और न ही अपना स्वत्व साबित कर पाया है । अतः वादविन्दु सं0–1 वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

**<u>निस्तारण वादविन्दु सं0– 9 व 12 :–</u>**

वादविन्दु सं0– 9 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादपत्र में वर्णित आधार पर प्रतिवादीगण से मु0 5000/–रूपया क्षतिपूर्ति मय ब्याज पाने का अधिकारी है ? तथा वादविन्दु सं0–12 इस आशय का विरचित किया गया है कि " क्या वादपत्र के कथनानुसार वादी विवादित भूमि में स्थित निर्माण को गिरवाकर जमीन पाक साफ करवाकर उसका कब्जा दखल पाने का अधिकारी है ? उपरोक्त दोनों वादविन्दु आपस में परस्पर अर्न्तसम्बन्धी है । इसलिए सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों वादविन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

उपरोक्त सम्बन्ध में वादीगण ने वादपत्र में कथन किया है कि वादी वादभूमि में स्थित दरख्तान का उपयोग उपभोग पूर्वजों के समय से करता

चला आ रहा था जिसे दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण काटकर उठा ले गये जिससे उसकी 25000/–रूपये की क्षति हुई इसलिए वह 5,000/–रूपये की क्षतिपूर्ति के लिये दावा कर रहा है तथा शेष धनराशि मु0 20 हजार रूपये के सम्बन्ध में वादीगण अपना अधिकार सुरक्षित रखते है । वादीगण ने वादपत्र में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने दौरान वाद विचारण वादभूमि पर निर्माण भी कर लिया है जिसे वादीगण हटवा कर जमीन पाक साफ करवाकर कब्जा दखल पाने के अधिकारी है ।

वादविन्दु सं0–1 के निस्तारण से यह साबित हो चुका है कि वादीगण वादभूमि के स्वामी व अध्यासी नहीं है । विवादित भूमि व उसमें स्थित दरख्तान के मूल स्वामी अंगनू थे जिससे प्रतिवादीगण सं0–1 ता 3 ने विवादित सम्पत्ति को क्रय किया था । ऐसी दशा में वादीगण वादभूमि में स्थित पेड़ों के कट जाने के बाबत प्रतिवादीगण से न तो कोई क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं और न ही वादभूमि में हुए निर्माण को गिरवा कर जमीन पाक साफ करवा कर कब्जा दखल पाने के अधिकारी है । तदनुसार वादविन्दु सं0– 9 व 12 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है ।

**<u>निस्तारण वादविन्दु सं0–2 :–</u>**

वादविन्दु सं0–2 वाद के अल्प मूल्यांकन के बाबत विरचित किया गया है।

न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनाँक 19.02.2013 को, वादविन्दु सं0–2 निस्तारण किया गया है, जो इस निर्णय का भाग होगा।

**<u>निस्तारण वादविन्दु सं0–3:–</u>**

वादविन्दु सं0–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या न्यायशुल्क कम अदा किया गया है ?''उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दौरान तर्क उर्पयुक्त वादविन्दु पर प्रतिवादीगण की ओ से कोई बल नहीं दिया गया।

वादपत्र के अवलोकन से प्रकट है कि प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध मूल रूप से स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु

सस्थित किया था और दौरान वाद विचारण उसके द्वारा मामलें में आज्ञापक व्यादेश व क्षतिपूर्ति के अनुतोष का भी दावा किया गया है ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 19.02.2013 को न्यायालय द्वारा वाद का मूल्यांकन 1,10,410/–रूपया निधार्रित किये जाने के पश्चात वादी द्वारा नियमानुसार याचित अनुतोष के अनुसार अलग–अलग न्यायशुल्क अदा किया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किये जाने की आपत्ति की गयी है किन्तु उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, न ही दौरान तर्क उक्त वादविन्दु पर कोई बल ही दिया गया है । अतः बल न दिये जाने के कारण उपरोक्त वादविन्दु वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

**<u>निस्तारण वादविन्दु सं0–4:–</u>**

वादविन्दु सं0–4 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने तथा अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष है ?''उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दौरान तर्क उपर्युक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई बल नहीं दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में विशिष्ट रूप से यह भी अभिकथित नहीं किया गया है कि कौन से वे आवश्यक व्यक्ति हैं जिन्हे वादी ने मुकदमें में पक्षकार नहीं बनाया है तथा कौन से ऐसे व्यक्ति है जो वाद में पक्षकार बनाये गये है और उनकी वाद के निस्तारण में कोई जरूरत नहीं है। उक्त सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः बल न दिये जाने कारण उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

**<u>निस्तारण वादविन्दु सं0–5:–</u>**

वादविन्दु सं0–5 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वाद काल बाधित है ?'उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण

पर है। दौरान तर्क प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त वाद बिन्दु पर कोई बल नहीं दिया गया । वाद पत्र के अवलोकन से प्रकट है कि प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध मूल रूप से स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु दिनांक 13.10.1987 को वाद कारण दिनांक 09.10.1987 का दर्शित करते हुए संस्थित किया है। स्थायी व्यादेश का वाद, वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर संस्थित किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः बल न दिये जाने कारण उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

**निस्तारण वादविन्दु सं0–6:–**

वादविन्दु सं0–6 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वादी मजाज दावा नहीं है ?'उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दौरान तर्क उपर्युक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई बल नहीं दिया गया। वादी ने प्रस्तुत वाद अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा व संरक्षा हेतु स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया है। यद्यपि वादी वाद कथनों को साबित करने में असफल रहा है किन्तु उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी को वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। अतः बल न दिये जाने कारण उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

**निस्तारण वादविन्दु सं0–8:–**

वादविन्दु सं0–8 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वाद सन्धार्य नहीं है?'उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रस्तुत वाद वादी ने मूल रूप से स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया है। दौरान वाद विचारण वादी ने संशोधन के दौरान आज्ञापक व्यादेश व क्षतिपूर्ति का भी अनुतोष याचित किया है। वादी द्वारा याचित सभी अनुतोष सिविल न्यायालय प्रदान करने में सक्षम है। दौरान तर्क उपरोक्त वाद विन्दु पर वादी द्वारा कोई बल भी नहीं दिया गया है।

अतः बल न दिये जाने कारण उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

**निस्तारण वादविन्दु सं0–10:–**

वादविन्दु सं0–10 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या संशोधन के पश्चात वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?'उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उपरोक्त वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2017 को किया गया है जो इस निर्णय का भाग है।

**निस्तारण वादविन्दु सं0–11:–**

वादविन्दु सं0–11 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वादी दावा दायर करने के अधिकारी नहीं हैं ?'उपरोक्त वादविन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दौरान तर्क उपरेाक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई बल नहीं दिया गया। अतः बल न दिये जाने कारण उपरोक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

**निस्तारण वादविन्दु सं0–6:–**

वादविन्दु सं0–6 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या वादी किसी अन्य याचना को पाने का अधिकारी है?

वादविन्दु सं0 1,9, व 12 के विवेचन से यह प्रमाणित हो गया है कि वादीगण किसी भी मुख्य अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं है । ऐसे में जबकि वादीगण मुख्य अनुतोष को ही पाने के हकदार नहीं है तो वे अन्य किसी भी अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं है। वादविन्दु सं0–6 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से न्यायालय के मत में वादीगण का वाद सव्यय खारिज किये जाने योग्य है ।

## आदेश

वादीगण का मूल वाद 768/1987 रामजस बनाम कल्पूराम आदि सव्यय खारिज किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप कुमार )
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं0–15,सुलतानपुंर ।

**दिनांक 29.01.2021ई0**

आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

(संदीप कुमार )
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं0–15,सुलतानपुंर ।

**दिनांक 29.01.2021ई0**